

# **ANNUAL REPORT**

**OF** 

**NCRTC** 

**FOR** 

2016-2017

STATUTORY AUDITORS M/S. SARIA GUPTA & COMPANY **CHARTERED ACCOUNTANTS** New Delhi

SECRETARIAL AUDITORS M/S. ANIL ANAND & ASSOCIATES **COMPANY SECRETARIES** New Delhi

Registered & Corporate Office NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

7/6, AMDA Building, Siri Fort Institutional Area August Kranti Marg, New Delhi -110049 Phone No.: 011-41066943 CIN No.: U60200DL2013GO1256716

# विषय—सूची

निर्देशक मंडल	3
अध्यक्षीय सम्बोधन	4-5.
निदेशक रिपोर्ट	6-14
सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (अनुबंध I)	15—17
फॉर्म नं एओसी —2 (अनुलग्नक —II)	18
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुबंध— III)	19—20
वार्षिक रिटर्न का सारांश फॉर्म नंबर एमजीटी 9 का सारांश (अनुलग्नक $-{ m i} {f v}$ )	21—27
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	28—30
वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	31-32
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	33—34
वैधानिक लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों की सूची	35
लेखा परीक्षक अनुपालन प्रमाणपत्र	36
तुलन पत्र	37
लाभ और हानि का विवरण	38
नकदी प्रवाह विवरण	39
वित्तीय विवरण के लिए नोट्स	40—51
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	52

# CONTENTS

Board of Directors
Chairman Speech
Directors Report 6-14
Secretariat Audit Report (Annexure I)
Form No. AOC-2 (Annexure-II)
Annual Report on CSR Activities (Annexuer-III)
Extract of Annual Return Form No. MGT 9 (Annexure-IV)
Independent Auditor's Report
Auditor's Report on Financial Statement
Auditor's Report on Internal Financial Control
A list of Areas to be examined by Statutory Audit
Auditors Compliance Certificate
Balance Sheet
Statement of Profit & Loss
Cash Flow Statement
Notes to the Financial Statements
Comments of C&AG of India

# निदेशक मंडल



श्री दुर्गा शंकर मिश्रा

: चेयरमैन / एनसीआरटीसी लि. एवं सचिव आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली—110001



श्री अरुण कुमार गुप्ता

: निदेशक / एनसीआरटीसी लि. एवं मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, सेक्टर 6, पंचकूला



श्री बिजय कुमार त्रिपाठी

: निदेशक / एनसीआर टीसी लि. एवं सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड इंडिया हेबिटेट सेंटर— नई दिल्ली—110003



श्री के.के. अग्रवाल

: निदेशक / एनसीआरटीसी लि. एवं कार्यकारी निदेशक निर्माण एवं योजना, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली—110001



श्री मनोज कुमार

: निदेशक / एनसीआर टीसी लि. एवं अतिरिक्त सचिव, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली—110001



डॉ. एम. एम. कुट्टी

: निदेशक / एनसीआर टीसी लि. एवं मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, ए विंग, पांचवा तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली—



श्री पी. गुरू प्रसाद

: निदेशक / एनसीआर टीसी लि. एवं परिवहन आयुक्त, उ.प्र. सरकार, टेहरी कोठी, एम जी मार्ग, लखनऊ—226001



श्री राजीव स्वरूप

: निदेशक / एनसीआर टीसी लि. एवं अतिरिक्त मुख्यसचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान सरकार, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर



श्री विनय कुमार सिंह

: प्रबन्ध निदेशक,एनसीआर टीसी लि., 7/6, आमदा बिल्डिंग, सिरीफोर्ट इंस्टीट्यूटशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली—110049

\*(वर्णाक्रम के अनुसार)

# **BOARD OF DIRECTORS OF NCRTC**



Shri Durga Shanker Mishra : Chairma

 Chairman/NCRTC Ltd. & Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi-110001



Shri Arun Kumar Gupta

 Director /NCRTC Ltd. & Principal Secretary to Govt. of Haryana, Town & Country Planning and Urban Estates Department, Directorate of Town & Country Planning, Secctor 6, Panchkula



Shri Bijay Kumar Tripathi

Director/NCRTC Ltd. & Member Secretary, NCRPB CORE-IV- B, Ist Floor, Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi - 110003



Shri Kailash Kumar Aggarwal

 Director /NCRTC Ltd. & Executive Director, Works & Planning, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi - 110001



Shri Manoj Kumar

 Director/NCRTC Ltd. & Additional Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Nirman Bhawan,



Dr. M. M. Kutty

Director/NCRTC Ltd. & Chief Secretary, Govt. of NCT Delhi, A-Wing, 5th Floor, Delhi Secretariat, New Delhi



Shri P. Guru Prasad

Director/NCRTC Ltd. & Transport Commissioner, Govt. of Uttar Pradesh, Tehri Kothi, M G Marg, Lucknow, UP-226001



Shri Rajeeva Swarup

Director/NCRTC Ltd. & Additional Chief Secretary, Industries & DMIC, Govt. of

Rajasthan, Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur



Shri Vinay Kumar Singh

: Managing Director, NCRTC Ltd.,

7/6, Amda Building, Siri Fort Institutional Area,

August Kranti Marg, New Delhi -110049

New Delhi - 110001

3

# अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय शेयर होल्डर्स.

आप सभी का चौथी जनरल वार्षिक बैठक में स्वागत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। कंपनी की मींटिंग का विवरण, निदेशक की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2016—17 का वार्षिक लेखा परीक्षण, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी सहित रिपोर्ट, आपको पहले ही भेजी जा चुकी है व आपकी अनुमित से मैं इसे पढ़ रहा हूं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र है। एनसीआर—2032 के लिए परिवहन की कार्यरूप योजना में तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें एनसीआर के विभिन्न खास शहरों को जोड़ने के लिए 8 क्षेत्रीय रेपिड ट्रांजिट सिस्टम कारीडोर्स की पहचान की गई जिसमें प्राथमिकता के आधार पर तीन कारीडोर्स दिल्ली—मेरठ, दिल्ली—पानीपत और दिल्ली—अलवर को पहले चरण में लागू किया जा रहा है।

अगस्त 2016 में एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यभार संभाला गया। एनसीआरटीसी के कार्यालय के लिए एएमडीए से सिरीफोर्ट इंस्टीट्शनल एरिया में लिए गए लीज पर भवन से कार्य करना शुरू किया। अनुभवी अधिकारियों के जुड़ने के साथ ही प्रोजेक्ट में तेजी से कार्य होने लगा।

तीन कॉरीडोर में से दिल्ली—मेरठ कारीडोर की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई। साथ ही उ.प्र. सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भी शीघ्र अनुमोदन की अपेक्षा कर रहे हैं। तत्पश्चात एनसीआरटीसी दिल्ली—मेरठ कारीडोर के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए निवेदन करेगा। कम्पनी कई संस्थानों से वित्तीय ऋण के लिए प्रयासरत है। अन्य दो कारीडोर की विस्तृत कार्य रिपोर्ट्स (डीपीआर) को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) के अनुभव और विशेषता का लाभ उठाने के लिए हमने तीनों कॉरीडोर की डीपीआर की समीक्षा के लिए सलाहकार की हैसियत से उन्हें जोड़ा, ताकि तीनों कारीडोर के निर्माण और मल्टी मॉडल एकीकरण पर फोकस किया जा सके। विस्तृत विचार विमर्श के बाद तीनों कॉरीडोर और मल्टी मॉडल एकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एनसीआरटीसी ने तीनों कॉरीडोर को एक कॉमन टर्मिनल स्टेशन सराय काले खां से प्रारंभ करने की योजना बनाई है।

# Chairman's Speech

Dear Shareholders,

It is my proud privilege to welcome you all to the 4<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company. The Director's Report and the audited Annual Accounts for the financial year 2016-17, the Statutory Auditor's Report along with comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, have already been circulated to all of you and with your permission, I take them as read.

The National Capital Region is one of the fastest growing regions in the world. Recognizing the need for a fast, safe and modern mass transport network, the Functional Plan on Transport for NCR-2032 identified 8 Regional Rapid Transit System corridors to connect various important towns in NCR with a high-speed rail based system. Three corridors, namely, Delhi-Meerut, Delhi-Panipat and Delhi-Alwar were prioritized for implementation in the first phase.

A full time Managing Director joined in August' 2016. NCRTC's office has started functioning from the building taken on lease from AMDA in the Siri Fort Institutional Area. With the joining of experienced officers, the project has gained impetus.

Of the three corridors, the Detailed Project Report of the Delhi-Meerut corridor was approved by your Board of Directors. Subsequently, approval of Govt. of UP has been received. We are hopeful of getting the approval of Govt. of NCT of Delhi shortly. Thereafter, NCRTC shall seek the approval of the Central Government for the Delhi-Meerut corridor. The company is also actively pursuing debt financing from multilateral institutions. The finalization of the DPR's of the other two corridors are at an advanced stage.

Taking into account DMRC's experience and expertise, they have been engaged as consultant to review the DPRs of the three RRTS corridors, so as to focus on constructability and multimodal integration. After detailed deliberations and keeping in mind the need for interoperability between the three corridors and multimodal integration, NCRTC has planned to start the three corridors from a common terminus station at Sarai Kale Khan.

4

हाल ही में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने 'मेट्रो रेल नीति—2017' को अनुमोदित किया है। इस नीति ने शहरी ढांचे में सामूहिक पारगमन प्रणाली को पांच व्यापक श्रेणियों में बांटा है। क्षेत्रीय रेल—जो बड़े शहरी समूह के भीतर यात्री सेवाओं को पूरा करता है या मेट्रोपोलिटन क्षेत्र को शहर के बाहर क्षेत्र से जोड़ता है, एक इसी प्रकार की श्रेणी है। नीति में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की योजना और लागू करने के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इस नीति में निजी भागीदारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप को भी मेट्रो संचालन और निर्माण करने की मान्यता दी गई है। उचित समय आने पर एनसीआरटीसी भी निजी कंपनी की भागीदारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप की संभावनाओं पर विचार करेगी।

मैं निदेशक मंडल की ओर से भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए कंपनी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। निदेशक मंडल की ओर से मैं कंपनी के कर्मचारियों की उनके द्वारा किए गए कड़े परिश्रम की सराहना करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

धन्यवाद

्दुर्गा शंकर मिश्रा) अध्यक्ष एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि.

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 18–09–2017 5/17/2019

Recently, the Union Cabinet has approved the "Metro Rail Policy-2017". The policy has categorized mass transit system in cities/urban agglomeration into five broad categories. Regional Rail-which caters to passenger services within larger urban agglomerate or metropolitan area connecting the outskirts to the center of the city is one such category. The policy covers different aspects in planning and implementation of metro rail projects. The policy also recognizes Private Participation and Public Private Partnerships in building and operating metro system. At an appropriate stage, NCRTC shall also consider the possibility of private participation and public private partnerships.

On behalf of the Board of Directors, I express my sincere thanks for the goodwill and cooperation extended to the Company by the Govt. of India, Govt. of NCT of Delhi, Govt. of Haryana, Govt. of Rajasthan and Govt. of Uttar Pradesh. On behalf of the Board of Directors, I would like to compliment the dedication and hard work done by the employees of the Company as a result of which substantial ground has been covered and considerable progress has been achieved in the implementation of the RRTS project in the National Capital Region.

Thank you, Sd/-

(Durga Shanker Mishra) Chairman

Date: 18.09.2017 NCR Transport Corp. Ltd.

Place: New Delhi

# निदेशक की रिपोर्ट

# सेवा में, शेयरघारक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड नई दिल्ली

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2017 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए, लेखा परीक्षित वित्तीय खातों के विवरण और नियंत्रण एवं भारत के महालेखा परीक्षक की समीक्षा के साथ—साथ कंपनी की चौथी रिपोर्ट और अन्य निर्धारित ब्यौरा को प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

### वित्तीय निष्पादन

आपके निगम द्वारा अभी व्यवसाय को प्रारंभ किया जाना है। 31 मार्च 2017 को खत्म होने वाले इस वित वर्ष की उपलब्धि इस प्रकार है:--

विवरण	राशि (रू.में)
सावधि जमा पर ब्याज से होने वाली आय	7,92,15,788
लागत एवं खर्च	1,95,70,920
कर पूर्व लाभ	5,96,44,868

यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह लाभ केवल अधिशेष निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज से हैं, न कि निगम के संचालन से।

# पूंजी की संरचना

इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख से निगम द्वारा 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी का उपार्जन कर लिया है। इसके साथ, सभी हितधारकों ने उनका यथोचित हिस्सा चुका दिया है और तदनुसार शेयर धारकों के प्रतिशत के साथ वर्तमान हिस्सेदारी निम्न है...

क्रम संख्या	शेयर धारक का नाम	राशि. (लाख रु. में)	प्रतिशत
1.	आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय	2250	22.50
2.	रेल मंत्रालय	2250	22.50
3.	राष्ट्रीय राजधानी, क्षेत्र	500	5
	योजनाबोर्ड		
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,	1250	12.50
	दिल्ली सरकार		
5.	हरियाणा सरकार	1250	12.50
6	राजस्थान सरकार	1250	12.50
7.	उ.प्र. सरकार	1250	12.50
	योग	10000	100

# **DIRECTORS' REPORT**

To,

The Shareholders National Capital Region Transport Corporation Limited New Delhi

Your Directors have immense pleasure in presenting 4<sup>th</sup> Annual Report of the Company together with the Audited financial statements of accounts and comments of Comptroller and Auditor General of India thereon for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2017 and other prescribed particulars.

# **FINANCIAL PERFORMANCE**

Your Corporation is yet to Commence Business. Its financial performance for the Year ended 31st March 2017 is as under:

Particulars	Amount (in Rs.)
Income from Interest on Fixed Deposit	7,92,15,788
Expenditure	1,95,70,920
Profit before Tax	5,96,44,868

It is pertinent to mention here that the income is from interest on investment of surplus funds only and not from operations of the Corporation.

#### **CAPITAL STRUCTURE**

As on date of submission of this report the paid up capital of Company is Rs. 100.00 Crores.

All the stakeholders had tendered their respective share and accordingly the present extent of shareholding along with stakeholder percentage is stated as hereunder:

S.No.	Name of Shareholders	Amount (In Lakh of Rs.)	%age
1	Ministry of Urban Development	2250	22.50
2.	Ministry of Railways	2250	22.50
3.	Nation Capital Region Planning Board	500	5
4.	Govt. of NCT of Delhi	1250	12.50
5.	Govt. of Haryana	1250	12.50
6.	Govt. of Rajasthan	1250	12.50
7.	Govt. of Uttar Pradesh	1250	12.50
	Total	10000	100

## वित्तीय विशेषताएं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने ब्याज युक्त साधन जैसे साविध जमा में जमा निष्क्रिय निधि से राजस्व उपार्जित किया है उदाहरण के लिए अन्य स्रोतों से कुल उपार्जित आय लगभग 7.92 करोड़ रुपया थी। इस अविध के दौरान लगभग 1.96 करोड़ रुपए का (कर्मचारियों के फायदे पर किए गए व्यय मूल्यहास और अन्य व्यय इत्यिदि के रूप में) व्यय किया गया। तत्पश्चात, कर प्रदान करने के बाद, शुद्ध लाभ 3.99 करोड़ रुपए था।

### लाभांश

निगम ने अभी अपना व्यापार आरंभ नहीं किया है इसलिए वर्ष 2016—2017 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

### सामान्य आरक्षित विनियोग

निगम ने अपना व्यापार आरंभ नहीं किया है इसलिए वर्ष 2016—17 हेतु सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित करने लिए किसी राशि की सिफारिश नहीं की गई है।

# भावी संभावना और परियोजना की स्थिति

शहरी परिवहन के आधार पर संरचना का विस्तार, एक ओर क्षेत्रिए विकास को टिकाऊ व संतुलित बनाए रखना व दूसरी ओर नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। आपकी कंपनी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को लागू करके इस बदलाव में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 'कंपनी की परियोजना स्थिति निम्नानुसार है:

- 1. एनसीआर—2032 के लिए आठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारों को एनसीआर के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों के साथ उच्चगित रेल आधारित ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ने की कार्य योजना तैयार की गई है। इन आठ कॉरीडोर में से तीन कॉरीडोरों दिल्ली—मेरठ, दिल्ली—पानीपत और दिल्ली—अलवर को पहले चरण में लागू किया जाएगा।
- उक्त तीनों प्राथमिकता वाले कारीडोर का व्यवहारिक अध्ययन करने और फिर विस्तृत योजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने हेतु नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड ने सलाहकारों को 2010 में नियुक्त किया। इन अध्ययनों के दौरान संरेखण और व्यापक तकनीिक विशिष्टताओं को भी अंतिम रूप दिया गया। उक्त अध्ययन की कई चरणों में समीक्षा की गई और कंसल्टेंसी रिव्यू कमेटी द्वारा जिसमें हिस्सेदार राज्य सरकारों और रेल मंत्राालय के प्रतिनिधि शामिल थे, के द्वारा अनुमोदित किया गया! इन तीनों कारीडोर की व्यवहारिक रिपोर्ट सीआरसी द्वारा अनुमोदित की गई।
- 3. जुलाई 2016 में एनसीआरटीसी में पूर्ण कालिक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति हुई। सिरी फोर्ट इस्टीट्यूशनल एरिया में एएमडीए से एनसीआरटीसी के कार्यालय के लिए लीज पर भवन लिया गया। इस भवन का नवीनीकरण किया जा रहा है।

#### **FINANCIAL HIGHLIGHTS**

During the year under review, the Company earned revenue out of idle funds parked in interest bearing instruments i.e. Fixed Deposits. Total income earned i.e Income from other Sources were Rs. 7.92 crores approx. The expenditure incurred during the same period was Rs 1.96 crores approx (in form of employee benefits expenses, Depreciation and other expenses etc) Further, after providing for tax, there was a net profit of Rs. 3.99 crores.

#### DIVIDEND

As the Corporation is yet to commence its business, no dividend has been recommended for year 2016-17.

#### APPROPRIATION TO GENERAL RESERVE

As the Corporation is yet to commence its business, no amount has been recommended for transfer to General Reserve for the year 2016-17.

#### FUTURE OUTLOOK AND STATUS OF THE PROJECT

Augmentation of urban transport infrastructure is the key to sustainable and balanced regional growth on one hand and improvement of quality of life of citizens on the other. Your company shall act as a catalyst for this transformation by implementing the Regional Rapid Transit System (RRTS).

Status of the project of the Company for the financial year ending March 31, 2017 is as under:

- The functional Plan on Transport for NCR-2032 envisaged construction of eight Regional Rapid Transit System (RRTS) corridors to connect various important towns in NCR with high speed rail based transit system. Out of the identified eight RRTS corridors, three corridors namely Delhi-Meerut, Delhi-Panipat and Delhi-Alwar, were prioritized for implementation in first phase.
- 2. In 2010, National Capital Regional Planning Board(NCRPB) engaged Consultants for the feasibility study followed by the preparation of detailed project reports (DPR) for these three prioritized corridors. During the course of these studies the alignment and broad technical specifications for the system were also finalized. Various stages of the above study are reviewed arid approved by a Consultancy Review Committee comprising of representatives of the participating State Govts., Ministry of Railway etc. The feasibility reports for these three corridors were approved by CRC.
- 3. A full time Managing Director for NCRTC joined in July 2016. NCRTC's office was set up in the building taken on lease from AMDA at Siri Fort Institutional area. Renovation of this building was taken up.

- 4. संस्था के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और मार्च 2017 के अंत में कंपनी में विभिन्न स्तरों पर 13 अधिकारी / कर्मचारी थे।
- 5. परिवहन परियोजनाओं को निष्पादित करने में अपनी विशेषता को देखते हुए, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को आरआरटीएस की डीपीआर की समीक्षा और संशोधन के लिए सलाकार के रूप में शामिल किया गया ताकि निर्माण क्षमता और मल्टी मॉडल एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
- 6. व्यवहारिकता रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक कॉरीडोर को किसी अन्य के साथ जोड़े बिना पृथक कॉरीडोर बनाने की योजना थी। इस प्रबंध से मल्टी मॉडल एकीकरण में अंतर—संचालन जो आवश्यक था संभव नहीं था, इसलिए अब सराय काले खां से तीनों कारीडोर को संयुक्त टर्मिनल से प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है।
- 7. व्यवहारिकता अध्ययन / डीपीआर के सलाहकार हेतु जो अनुबंध एनसीआरपीबी के साथ किया गया था, उसे अब एनसीआरटीसी को दिसम्बर 2016 / जनवरी 2017 को स्थान्तरित कर दिया गया।
- 8. सीआरसी द्वारा ट्रेक की गेज और चल—स्टाक की चौड़ाई से संबंधित व्यापक सिस्टम विनिदेशों की समीक्षा पर अंतिम रूप दिया गया। यह पाया गया कि वर्तमान तकनीकी आधुनिकता के साथ ठीक नहीं है। रेल मंत्रालय से विचार विर्मश के बाद मानदंड को संशोधित किया गया और अब सिस्टम में 3.2 मीटर चौड़ा चल स्टॉक और मानक गेज होगा जो व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग होता है।
- 9. इन तीनों प्राथमिक कॉरीडोरों में से दिल्ली—गाजियाबाद—मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर की डी.पी.आर. को सीआरसी और एनसीआरटीसी के निदेशकों द्वारा दिसम्बर 2016 में अनुमोदित कर दिया गया और इसे दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमोदन हेतु भेज दिया है।
- 10. शेष बचे दो कॉरीडोर यानी दिल्ली—पानीपत और दिल्ली—अलवर के अंतिम संरेखण की समीक्षा पर यह पाया गया है कि इसकी योजना निजी भूमि पर बनाने की थी, जिसमें भूमि का अधिग्रहण आवश्यक था। भूमि अधिकरण से विलम्ब और लागत बढ़ जाने की आशंका थी, तब यह विचार किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतरगत संरेखण करने को उचित समझा गया, तािक भूमि अधिग्रहण और लागत वृद्धि से बचा जा सके। तदानुसार एनएचएआई के साथ बातचीत शुरू हुई और तकनीिक प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
- 11. विभिन्न हितकारों के साथ जन उपयोगिताओं जैसे एच टी पावर लाइन, वाटर लाइन, सीवर लाइन आदि के स्नानान्तरण के लिए चर्चा प्रारंभ की गई। दिल्ली और उ.प्र. सरकार की विभिन्न अथॉरिटीज के साथ क्लीयरेंस / एप्रवल्स के लिए बातचीत शुरू की गई है।
- 12. दिल्ली—मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए एशियन डिवैलपमेंट बैंक ने वित्तीय सहायता के लिए रुचि प्रकट की है।

#### फिक्सड डिपोजिट

कम्पनी ने जनता से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (31) 73 एवं 74 के तहत कोई जमा आमंत्रित नहीं किया है।

#### PERSONNELAND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The Companies employment policies are aligned to attract and retain talent. As on March 31, 2017 the employee's strength of the Company is 13 (including advisors, deputation and contractual basis). Considering the proposal to start the first phase of the construction, company is in process to hire employees at various levels. The guidelines issued by Government of India (GOI) from time to time with regards to the reservation of services for SCs/STs/PH/OBCs are being followed.

# PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 197(12) OF THE COMPANIES ACT, 2013

There was no employee in the Company falling under the category of employees required to be reported under Section 197 (12) of the Companies Act, 2013, read with Rules 5 (2) and 5 (3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

#### **AUDITORS**

M/s Saria Gupta and Co., Chartered Accountants, New Delhi has been appointed by the Office of The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2016-17. Their tenure shall accordingly come to an end on the conclusion of ensuing AGM i.e on September 18, 2017. The remuneration fixed by the Board for the financial year 2016-17 was Rs 30,000/- (Rupees Thirty Thousand only) plus Service Tax as applicable.

The Statutory Auditors' Report on the Accounts of the Company for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2017 is enclosed. They have not made any comment and cleared the Accounts without qualifications.

The Board has also perused the schedules and annexures i.e. notes to accounts and computation of Income Tax.

CAG vide its letter no. CA,V/Coy/Central Govt, NCRTC(o)/692 dated August, 2017 has appointed M/s A C Gupta and Associates as Statutory Auditor for the FY 2017-18 under section 139 of the Companies Act, 2013.

### SECRETARIAL AUDIT REPORT

The Corporation appointed M/s Anil Anand and Associates, Company Secretaries, to conduct Secretarial Audit for the financial year 2016-17. The Secretarial Audit Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2017 is enclosed herewith as **Annexure-I.** 

The Audit report as furnished addressed to members of the Company comprises part of present Annual Report for consideration and information of members. The report and its contents are self-explanatory and do not contain any qualification/observations, hence management has nothing to comment thereupon.

## कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन

कम्पनी की रोजगार नीतियां प्रतिभा को बनाए रखने तथा आकर्षित करने के उद्देश्य बनाई गई है। 31 मार्च 2017 तक कंपनी की कर्मचारी की संख्या 13 है (सलाहकारों, प्रतिनियुक्ति और अनुबंध आधार सिहत) निर्माण के पहले चरण को शुरू करने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, कंपनी विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीएच / ओबीसी के लिए सेवाओं के आरक्षण के संबंध में समय—समय पर भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी दिशा—निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

# कंपनी अधिनियम, 2013 के उपनियम 197(12) के तहत कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी के अधिनियम 5 (2) और 5 (3) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के तहत रिपोर्ट किए जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी के तहत कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं था (नियुक्ति और पारिश्रमिक प्रबंधकीय कार्मिक) नियम, 2014

#### लेखा परीक्षक

मैसर्स सारिया गुप्ता एंड कं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल तदनुसार आगामी एजीएम यानी 18 सितंबर, 2017 के पश्चात समाप्त हो जाएगा। वित्त वर्ष 2016—17 के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक 30,000 / — रुपये (केवल तीस हजार रूपए) और सर्विस टैक्स जो कि लागू है तय किया गया था। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है और बिना योग्यता के खातों को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने अनुसूचियां और अनुबंधों को भी समझाया है, जैसा कि खातों और इनकम टैक्स गणना के लिए नोट्स।

कैंग ने अपना पत्र सं. सीए, वी / कॉय / सेंट्रल सरकार, एनसीआरटीसी (ओ) / 692, दिनांक अगस्त 2017 द्वारा कम्पनीज एक्ट 2013 की धारा 139 के तहत वित्त वर्ष 2017—18 के लिए मेसर्स ए सी गुप्ता व एसोसिएट्स को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

#### सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

निगम ने वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए मेसर्स अनिल आनंद व एसोसिएट्स, को कंपनी सचिव नियुक्त किया था। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, अनुबन्ध—1 के रूप में संलग्न है —

कंपनी के सदस्यों को संबोधित के रूप में प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट सदस्यों की विचार और सूचना के लिए वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट और इसकी सामग्री आत्म व्याख्यात्मक है और इसमें कोई भी योग्यता / अवलोकन नहीं होता है, इसलिए प्रबंधन पर इसके बारे में टिप्पणी करने के लिए कुछ विशेष नहीं है।

- 4. The process of organization building was started and ending March 2017, the company had 13 employees at various levels.
- Considering their expertise in execution of transport projects, Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) were engaged as Consultants for the review and modification of DPR for RRTS Corridors with specific focus on construction ability and multi modal integration.
- 6. As per the feasibility reports, each corridor was planned as a separate corridor without any linkage. With such an arrangement, inter-operability which is considered necessary for multi-modal integration was not possible. Now it is planned to start three corridors from a common terminus station at Sarai Kale Khan which will provide inter-operability among three corridors.
- 7. The contracts with the Consultants for feasibility study /DPR entered into with NCRPB were transferred to NCRTC in Dec 2016/Jan.2017.
- 8. On review of the broad system specifications pertaining to track gauge and width of rolling stock finalized by the CRC, it was noticed that the same are not in line with the present technological advances. In consultation with the Ministry of Railways, these specifications have been revised and now the system will have 3.2 m wide rolling stock and standard gauge which is widely used internationally.
- 9. Out of three prioritized corridors, the detailed project report for Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS corridor was approved by the CRC and the Board of NCRTC in December 2016. The same was sent to the Govts. of Delhi and U.P for their approval.
- 10. On review of the finalized alignment for balance two corridors namely Delhi-Panipat and Delhi-Alwar, it was noticed that the same was planned in private land necessitating acquisition of land. Considering the constraints and likely delays in land acquisition and also high cost, it was considered prudent to take the alignment within the RoW of NH, in order to improve ridership and to reduce the land acquisition and capital cost. Accordingly, interaction was started with NHAI and technical proposals for the same were submitted.
- 11. Interaction with various stakeholders has been started for the diversion of utilities such as HT Power lines, water lines, sewer lines. Interaction has also been started with various authorities in Govt. of Delhi and UP for necessary clearances/approvals.
- 12. Asian Development Bank, has shown keen interest in funding Delhi-Meerut RRTS Corridor.

#### **FIXED DEPOSITS**

The Company has not invited any deposits from Public under section 2(31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013.

# ऋण, गारंटी या निवेश के बारे में जानकारी

समीक्षाधीन अविध के दौरान कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत किसी भी तीसरे पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है। कंपनी ने सामान्य तौर पर व्यापार के सामान्य कार्य में बैंक की गारंटी के अलावा कोई गारंटी नहीं दी है।

## संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 188 के तहत अविध के दौरान किसी भी संबंधित पार्टी के साथ लेन—देन नहीं हुआ है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण, अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है।

# भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई हैं।

# बोर्ड और इसकी समिति का मूल्यांकन

यह विचार करते हुए, कि कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है और वर्तमान बोर्ड में अपने हितधारकों के नामांकित निदेशक ही शामिल हैं, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों एवं निदेशकों की समितियों को शामिल करने, जिस तरीके से औपचारिकता वार्षिक मूल्यांकन अपने स्वयं के प्रदर्शन बोर्ड द्वारा किया गया है और इसके समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के लिए कहा जाने की आवश्यकता नहीं है।

# कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कंपनी पहले से ही सीएसआर कमेटी का गठन कर चुकी है। चूंकि कंपनी ने अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया है और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों (फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज) से है, इसलिए कंपनी ने 2016—17 के वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर के प्रति कोई व्यय नहीं किया है। कंपनियों (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के तहत निर्धारित रिपोर्ट अनुबन्ध —3 के रूप में वर्णित है।

# ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवसंरचना, विदेशी एक्सचेंज आय और निर्गामी

जैसा कि निगम ने अभी तक अपना कारोबार शुरू नहीं किया है, संबंधित नियमों के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अनुसार विवरण शून्य था और उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

# विदेशी एक्सचेंज आय और निर्गामी

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की आयः शून्य वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय: रुपये 5,19,667/-

### PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

During the period under review Company has not, made any loans to any third party as envisaged under Section 186 of the Companies Act, 2013. The Company has not given any guarantees other than bank guarantees in the normal course of business.

#### **RELATED PARTY TRANSACTIONS**

No Related Party transactions under section 188 of the Companies Act, 2013, have occurred during the period. Disclosure on related party transactions as prescribed under Companies Act 2013, is enclosed herewith as **Annexure-2**.

#### MATERIAL CHANGE AND COMMITMENTS

There have been no such material changes and commitments which affect the financial position of the company.

### EVALUATION OF THE BOARD AND ITS COMMITTEES

Considering that, the Company being a Government Company and the present Board comprises of Nominee Directors of its stakeholders only, provisions of section 134 (3) (p) of the Companies Act, 2013, relating to placing the statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors is not required to be stated.

#### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company has already constituted CSR Committee in terms of section 135 of the Companies Act, 2013.

As the Company is yet to commence its business and its total income is only from the other sources (interest on fixed deposits), therefore Company has not made any expenditure towards CSR during the financial year 2016-17. Report as prescribed under Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 is attached as **Annexure-3**.

# ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

As Corporation is yet to commence its business, the particulars pursuant to Section 134 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules were NIL and not required to be furnished.

# FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO

Foreign exchange earnings during the year: Nil

Foreign exchange outgo during the year: Rs 5,19,667/-

# कॉर्पोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन

निगम निरंतर कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करता है ताकि जोखिम प्रबंधन के साथ पारदर्शिता, अखंडता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

# निर्देशक का जवाबदेही वक्तव्य

आपके बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के परिणामस्वरूप पुष्टि की है किः

- (ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू होने वाले खाता मानकों का पालन किया गया, साथ ही सामग्री के प्रस्थान के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिया गया।
- (बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दे सकें।
- (सी) कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी
- (डी) निदेशकों ने वर्तमान सरोकार के आधार पर वार्षिक खाता तैयार किया था तथा
- (ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की थी और ऐसी व्यवस्था पर्याप्त थी और प्रभावी रूप से संचालन किया जा रहा था।

## वार्षिक रिटर्न का सार :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों की धारा 12 (1) के अनुसार, एमजीटी 9 में सालाना रिटर्न का उद्धरण इस वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में संलग्न है—अनुलग्नक —4

# नियामक द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश

निगम ने अभी तक अपने परिचालन को आरंभ नहीं किया है, फिर भी यह पुष्टि करता है कि वर्ष के दौरान नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कंपनी के कार्यों को भविष्य में कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

# कार्यस्थल में महिलाओं के यौन शोषण के तहत प्रकटिकरण (रोकथाम, प्रतिबंध और रिड्रेसल) अधिनियम, 2013

वर्तमान में कंपनी की कोई महिला कर्मचारी नहीं है, इसलिए वर्तमान में इस पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

#### CORPORATE GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT

The Corporation consistently endeavors to adopt the best practices of Corporate Governance so as to ensure transparency, integrity and accountability in its functioning along with Risk Management.

#### DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Board confirms consequent upon provisions of Section 134 of the Companies Act, 2013 that:

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

# ABSTRACT OF ANNUAL RETURN:

As required pursuant to section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 an extract of annual return in MGT 9 as a part of this Annual Report attached herewith as **Annexure -4.** 

#### SIGNIFICANT & MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS

The Corporation is yet to initiate its operations, yet it confirms that during the year no significant and material orders has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future. Hence there is nothing to be stated on this count.

# DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has no woman employee at present, therefore presently nothing is required to be furnished on this count.

#### TRANSFER OF AMOUNTS TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND:

Your Company did not have any funds lying unpaid or unclaimed for a period of seven years. Considering date of incorporation of the company being August, 2013, the provisions are not applicable.

#### CONFIRMATION PURSUANT TO SECTION 134(3)(d)

Your Board further confirms that its board comprises of below stated persons as on March 31, 2017:

Shri Rajiv Gauba Chairman Shri Durga Shanker Mishra Nominee Director Nominee Director Shri Bijay Kumar Tripathi Nominee Director Shri K K Aggarwal Shri Depinder Singh Dhesi Nominee Director Shri K Ravinder Naik Nominee Director Dr. M. M. Kutty Nominee Director Nominee Director Shri Umesh Kumar Shri Vinay Kumar Singh Managing Director

Your Board further confirms that pursuant to the provisions of The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2017 dated July 5, 2017, your Company is not required to appoint independent directors.

#### **DIRECTORS AND KMP**

During the year 2016-17, the following changes took place in the Board & KMP of the Company:

- Shri C S Rajan, Nominee Director, Government of Rajasthan ceased to be Director w.e.f. May 5, 2016
- 2. Shri Vinay Kumar Singh joined as Managing Director w.e.f. August 4, 2016
- Shri N C Goel, Addl Chief Secretary, Forest & Environment, DMIC, Government of Rajasthan was appointed as Nominee Director w.e.f. June 14,2016.
- Shri N C Goel, Addl Chief Secretary, Forest & Environment, DMIC Government of Rajasthan ceased to be director w.e.f. August 4, 2016
- Shri Umesh Kumar, Additional Chief Secretary, Industries & DMIC, Government of Rajasthan was appointed as Director w.e.f. August 4, 2016

# निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में राशि का स्थानांतरण

आपकी कंपनी के पास सात साल की अवधि के लिए कोई बिना भुगतान या बिना दावे की कोई निधि नहीं है अगस्त 2013 में कंपनी के शामिल होने की तारीख को ध्यान में रखते हुए प्रावधान लागू नहीं होते।

# सेक्शन 134 (3) (डी) के अनुसार पुष्टि

आपका बोर्ड आगे पुष्टि करता है कि उसके बोर्ड में 31 मार्च , 2017 के अनुसार नीचे वर्णित व्यक्ति शामिल हैं :

श्री राजीव गाबा अध्यक्ष श्री दुर्गा शंकर मिश्रा नामांकित निर्देशक श्री बिजय कुमार त्रिपाठी नामांकित निदेशक श्री के के अग्रवाल नामांकित निदेशक श्री दिपेंद्र सिंह धेसी नामांकित निदेशक श्री के रविंद्र नाइक नामांकित निदेशक डा. एम एम कुट्टी नामांकित निदेशक नामांकित निदेशक श्री उमेश कुमार श्री विनय कुमार सिंह प्रबंध निदेशक

आपका बोर्ड आगे पुष्टि करता है कि दिनांक जुलाई 5, 2017 के संशोधन नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी को (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

# निदेशक और केएमपी

वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी के बोर्ड और केएमपी में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्री सी एस राजन, नामांकित निदेशक, राजस्थान सरकार का मई 5, 2016 से निर्देशक का पद समाप्त हो गया है।
- 2. श्री विनय कुमार सिंह को प्रबंध निदेशक के रूप में 4 अगस्त , 2016 से शामिल किया गया।
- श्री एन सी गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण, डीएमआईसी, राजस्थान सरकार को नामांकित निदेशक के रूप में 14 जून 2016 से नियुक्त किया गया।
- श्री एन सी गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण, डीएमआईसी, राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 4, 2016 से निदेशक का पद समाप्त हो गया है।
- श्री उमेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इंडस्ट्रीज एवं डीएमआईसी, राजस्थान सरकार, को निदेशक के रूप में अगस्त 4, 2016 से नियुक्त किया गया।

- 6. श्री के के शर्मा, मुख्य सचिव, एनसीटी–दिल्ली सरकार और दिल्ली की एनसीटी के नामांकित निदेशक कंपनी के निदेशक से अलग हुए 16 जनवरी, 2017 से लागू
- 7. डॉ एम एम कुड़ी, मुख्य सचिव, एनसीटी—दिल्ली सरकार को नामांकित निदेशक के रूप में 16 जनवरी, 2017 से नियुक्त किया।

# बोर्ड की मीटिंग्स

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने चार (4) बार मीटिंग की

- 1. मई 5, 2016,
- 2. अगस्त 4, 2016
- 3. 6 दिसंबर. 2016
- 4. 23 मार्च, 2017

## बोर्ड की समितियां

कंपनी की कई समितियां हैं जो सबसे अच्छी कंपनी प्रशासन प्रथाओं के एक हिस्से के रूप में स्थापित की गई हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

इन समितियों की संरचना नीचे दी गई है:

# 1. लेखा परीक्षा समिति

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	पद नाम
1	श्री बिजय कुमार त्रिपाठी	अध्यक्ष
2	श्री के के अग्रवाल	सदस्य
3	श्री के रविंद्र नायक	सदस्य

### 2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री बिजय कुमार त्रिपाठी	अध्यक्ष
2.	श्री के के अग्रवाल	सदस्य
3.	श्री के रविंद्र नायक	सदस्य

# आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी प्रभावशीलता

अनुपालन तंत्र के हिस्से के रूप में, आपका बोर्ड यह विचार करता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जब निगम का परिचालन शुरू होगा तब अपेक्षित विभिन्न प्रकटीकरण और संयोजन का पालन किया जायगा। इसलिए इस बारे में कुछ भी विशेष नहीं है।

# सहायक कंपनियां

आपकी कंपनी में कोई सहायक कंपनी नहीं है

# लेखा मानकों का अनुपालन

वित्तीय विवरणों और साथ ही लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही वार्षिक रिपोर्ट के भाग को कंपनी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया था।

# कृतज्ञता

बोर्ड ने शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, विभागों और सरकारी एजेंसियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा जारी किए गए अमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया है।

बोर्ड ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षक, सलाहकारों और तकनीकी विशेषज्ञों के उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए

ह.

(बिजय कुमार त्रिपाठी) निर्देशक

डीआईएन : 02943220

ह.

(विनय कुमार सिंह) प्रबंध निर्देशक

डीआईएन : 06497700

दिनांक : 18.09.2017 स्थान : नई दिल्ली

- Shri K K Sharma, Chief Secretary, Government of NCT-Delhi and nominee Director of NCT of Delhi ceased to be director of the Company w.e.f. January 16, 2017
- Dr M M Kutty, Chief Secretary, Government of NCT-Delhi appointed as Nominee Director w.e.f. January 16, 2017

#### **BOARD MEETINGS**

During the Financial year ended March 31, 2017, the Board of Directors met four (4) times on:

- 1. May 5, 2016,
- 2. August 4, 2016
- 3. December 6, 2016
- 4. March 23, 2017

#### **COMMITTEES OF THE BOARD**

The Company has several Committees which have been established as a part of the best corporate governance practices and are in compliance with the requirements of the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

The composition of these committees is given below:

#### 1. Audit Committee

S.No	Name of the Member	Designation
1	Shri Bijay Kumar Tripathi	Chairman
2	Shri K K Aggarwal	Member
3	Shri K Ravindra Naik	Member

### 2. Corporate Social Responsibility Committee

S No	Name of the Member	Designation
1.	Shri Bijay Kumar Tripathi	Chairman
2.	Shri K K Aggarwal	Member
3.	ShrI K Ravindra Naik	Member

# INTERNAL CONTROL SYSTEM & ITS ADEQUACY

As part of compliance mechanism, your Board is of the view that various disclosures and compositions as required under Companies Act, 2013 shall be adhered as and when the operations of Corporation are initiated, hence there is nothing to be furnished on this count.

#### **SUBSIDIARIES**

Your Company does not have any subsidiary.

# COMPLIANCE OF ACCOUNTING STANDARDS

The financial statements were prepared by the Company in accordance with applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the same together with the Auditors Report thereof form part of the Annual Report

#### **ACKNOWLEDGEMENT**

Date: 18-09-2017 Place: NEW DELHI

The Board places on record their gratitude for the invaluable guidance, continued co-operation and support extended by Ministry of Urban Development, Ministry of Railways and other Ministries, Departments and agencies of Govt. of India, Govt. of National Capital Territory of Delhi; Govt. of Haryana, Govt. of Rajasthan, Govt. of U.P. and National Capital Region Planning Board.

The Board also acknowledges and extends sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Secretarial Auditors, Statutory Auditors, consultants and technical experts for their continued support and co-operation.

For National Capital Region Transport Corporation Ltd.

Sd/-

(BIJAY KUMAR TRIPATHI) Director

DIN:02943220

Sd/-

(VINAY KUMAR SINGH) Managing Director

DIN: 06497700

14

# (अनुलग्नक I) सी एस अनिल आनंद एंड एसोशिएट्स

(प्रैक्टिस में कंपनी सचिव)

102, जी के हाउस , प्रथम तल , 187-ए, संत नगर, नई दिल्ली - 110065

फोन: 91+9873925 927 ई-मेल: csanilanand96@gmail-com

सेवा में ,

सदस्य.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड 7/6, एएमडीए बिल्डिंग, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली —110049

इस पत्र के साथ-साथ हमारे सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की दी गई तारीख भी पढ़िए।

# प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी के प्रबंधन को सचिवीय रिकॉर्ड बनाए रखने, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, की जिम्मेदारी है।

# सचिवीय लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा जारी किए गए इन सचिवीय रिकॉर्ड, मानकों और प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना है।
- 3 हम मानते हैं कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत और सूचना हमारे विचारों का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।
- 4 जहां भी आवश्यकता होती है, हमने कानूनों के अनुपालन, नियमों, विनियमन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

#### अस्वीकरण

5 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के रूप में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामले का संचालन किया है।

6

सीएस अनिल आनंद

एसीएसः 10328

**CP NO: 11295** 

# (अनुलग्नक I) सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के अनुसार और कंपनियां (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9]

सेवा में , सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड 7/6, एएमडीए बिल्डिंग, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली —110049

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन के लिए मेसर्स एनसीआरटीसी का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है, जो कि एक कम्पनी है। सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन उस तरीके से किया गया था जो हमें कॉर्पोरेट संचालन / वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए उचित आधार प्रदान करता है और इसके बारे में हमारी राय व्यक्त करता है।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट की किताबों, फॉर्म और रिटर्न दाखिल किए गए अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड और कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कम्पनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में नीचे सुचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों एवं उचित बोर्ड प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखे पुस्तकों, पत्रों, मिनट की पुस्तकों, रूपों और रिटर्न दाखिल और अन्य रिकॉर्डों की प्रावधान के अनुसार जांच की है:

- (i) कंपनियां, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम। हमने निम्नलिखित के लागू होने वाले अनुच्छेदों का अनुपालन भी किया है:
- (i) भारत के कंपनी सचिवों द्वारा संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक। समीक्षाधीन अविध के दौरान, कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियमों, नियमों, नियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

#### Annexure-1

Date	:										

### SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31<sup>st</sup> MARCH 2017

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

### The Members, National Capital Region Transport Corporation Limited 7/6, AMDA Building, Siri Fort Institutional Area,

August Kranti Marg, New Delhi, 110049

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s. National Capital Region Transport Corporation Limited (NCRTC) (hereinafter called the company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provide us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2017 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Company for the financial year ended on 31<sup>st</sup> March, 2017 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 {the Act) and the rules made thereunder; We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:
- (i) Secretarial Standard issued by institute of Company Secretaries of India.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Acts, rules, regulations and guidelines mentioned above:

# We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

As per the minutes of the meeting duly recorded and signed by the Chairman, the decisions of the Board were unanimously passed and no dissenting views have been recorded.

We further report that, there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

> Sd/-**CSANILANAND** ACS: 10328 **CPNO: 11295**

Date: 11-09-2017 Place: New Delhi

#### Annexure-1

#### CS ANIL ANAND & ASSOCIATES

(Company Secretary in Practice)
102, G K House, 1st Floor, 187-A, Sant Nagar, New Delhi - 110065
Ph: +91-9873925927 E-mail:csanilanand96@gmail.com

To,

#### The Members,

# National Capital Region Transport Corporation Liimited

7/6, Amda Building, Siri Fort Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi, 110049

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

#### Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

### Secretarial Auditor's responsibility

- 2 Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the company with respect to secretarial compliances.
- 3 We believe that audit evidence and information obtained from the company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
- 4 Wherever require, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules, regulation and happening of events etc.

## Disclaimer

5 The secretarial audit report is neither an assurance as to future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affair of the company.

> Sd/-CSANILANAND ACS: 10328 CPNO: 11295

15

# हम आगे रिपोर्ट करते हैं,

कंपनी का निदेशक मंडल, विधिवत कार्यकारी निर्देशक व गैर कार्यकारी निर्देशक के उचित संतुलन के साथ गठित है। अविध के दौरान हुई निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तनों का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पालन किया गया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, एजेंडे और विस्तृत नोटों को कम से कम सात दिन पहले भेज दिया गया था, और समय—सारिणी के लिए एजेंडा वस्तुओं पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद थी। अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थित रूप से दर्ज और हस्ताक्षरित मीटिंग के मिनटों के अनुसार, बोर्ड के फैसले को सर्वसम्मित से पारित किया गया था और कोई असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप मॉनिटर करने और लागू कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी में पर्याप्त व्यवस्था और प्रक्रियाएं हैं।

> ह. सीएस अनिल आनंद एसीएस 10328 सीपी सं. 11295

दिनांक : 11–09–2017 स्थान : नई दिल्ली

#### Annexure-2

### Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

- 1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis: Nil
- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship: N.A
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions: N.A
- (c) Duration of the contracts / arrangements/transactions: N.A
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any: N.A.
- (e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions. N.A
- (f) Date(s) of approval by the Board: N.A (No such transactions were enter during the year)
- (g) Amount paid as advances, if any: N.A
- (h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188:

N.A (No such transactions were enter during the year)

- 2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:
- N.A (Company has not entered any transaction u/s 188 (1) of the Companies Act, 2013)
- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship:
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions:
- (c) Duration of the contracts / arrangements/transactions:
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any:
- (e) Date(s) of approval by the Board, if any
- (f) Amount paid as advances, if any:

For National Capital Region Transport Corporation Ltd.

Sd/-

Sd/-

(BIJAY KUMAR TRIPATHI)

(VINAY KUMAR SINGH)

Director

**Managing Director** 

DIN:02943220

DIN: 06497700

Date: 18-03-2017 Place: NEW DELHI

18

# Annexure 3

# ANNUAL REPORT ON THE CSR ACTIVITIES TO BE IN THE BOARD REPORT

S.No.	Particulars	Remarks
1.	A brief outline of the company's CSR policy,	Company is yet to commence its
	including overview of projects or programmes	business and its total income is only
	proposed to be undertaken and a reference to	from the other sources (interest on
	the web-link to the CSR Policy and projects or	fixed deposits). Therefore, company
	programmes	has not adopted CSR policy as of
		now.
2.	The Composition of the CSR Committee	1. Shri Bijay Kumar Tripathi - Chairman
		2. Shr. K. K. Aggarwal - Member
		3. Shri. K. Ravinder Naik - Member
3.	Average net profit of the company for last three	Rs. 4,07,03,580/-
	financial years	
4.	Prescribed CSR expenditure(two per cent of the	Rs. 8,14,072/-
	amount as in item 3 above)	

5. Details of CSR spent during the financial year :

(a) Total Amount to be spent for the financial year: Rs 8,14,072/-

(b) Amount unspent, if any: Rs. 8,14,072/-

(c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below :

S N.	CSR Project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programms (1) Local area or other (2) Specify the State and Distt. where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programme wise	Amount spent on projects or programs Sub Heads: (1) Direct Expenditure on projects or programs (2) Overheads	Amount spent : direct or through implem enting agency
1			-			 

अनुलग्नक 3

# बोर्ड रिपोर्ट में होने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी		
1.	कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा,	कंपनी ने अभी तक अपना कारोबार शुरू		
	जिसमें परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन शामिल	नहीं किया है और इसकी कुल आय		
	है और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों	केवल अन्य स्रोतों (फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज) से है। इसलिए, कंपनी ने अभी तक सीएसआर नीति नहीं अपनाई है।		
	के लिए वेब—लिंक का एक संदर्भ शामिल है।			
2.	सीएसआर समिति की रचना	<ol> <li>श्री बिजय कुमार त्रिपाठी – अध्यक्ष</li> <li>श्री के के अग्रवाल – सदस्य</li> <li>श्री के रवींद्र नाइक – सदस्य</li> </ol>		
3.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	₹. 4,07,03,580/-		
4.	निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 के रूप में राशि का दो प्रतिशत)	₹. 8,14,072/-		

- 5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरणः
- (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि रु. 8,14,072/-

- (बी) राशि जो खर्च न हुई हो , यदि कोई हो **रु**. 8,14,072/-(सी) जिस तरीके से वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किया गया है, को नीचे दर्शाया गया है।

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान	परियोजना शामिल है	परियोजनाएं या प्रोग्राम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) निर्दिष्ट करें राज्य और जिला। जहां पर परियोजना या कार्यक्रम किए गए	रकम व्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च राशि उप शीर्षकः 1. परियोजनाओं व कार्यक्रमों पर सीधा व्यय 2. ऊपर के खर्च	खर्च राशि सीधे या कार्यान्यन एजेन्सी के द्वारा
1						 

# (अनुलग्नक 2) फार्म नम्बर—एओसी—2

(कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के अधिनियम और नियम 8 (2) की धारा 134 की उप— धारा (3) के खंड (एच) के अनुसार)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 188 की उप—घारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा दर्ज अनुबंध /व्यवस्था के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निष्पक्ष लेनदेन शामिल है

- 1. निष्पक्ष आधार पर अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण: शून्य
- (ए) संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रति: लागू नहीं
- (बी) अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रति: लागू नहीं
- (सी) अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि: लागू नहीं
- (डी) अनुबंध या व्यवस्था या मूल्यों सहित लेनदेन के मुख्य नियम, यदि कोई हैं: लागू नहीं
- (ई) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने के लिए औचित्य: लागू नहीं
- (एफ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की दिनांक : लागू नहीं (वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन—देन नहीं किया गया था)
- (जी) राशि, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान की गई: लागू नहीं
- (एच) दिनांक जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था, जैसा कि धारा 188 के पहले प्रावधानों के अनुसार आवश्यक था: लागू नहीं (इस वर्ष के दौरान कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था)
- 2. निष्पक्ष लेनदेन की आधार पर महत्वपूर्ण अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरणः लागू नहीं। (कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 188 (1) के लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है)
- (ए) संबंधित पार्टी का नाम और सम्बन्ध की प्रकृति:
- (बी) अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति:
- (सी) अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि:
- (डी) अनुबंध या व्यवस्था या मूल्यों सहित लेनदेन के मुख्य नियम, यदि कोई हैं:
- . (ई) बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिनांक, यदि कोई हो
- (एफ) अग्रिम के रूप में भुगतान राशि, यदि कोई हो:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए

(बिजय कुमार त्रिपाठी )

ह. (विनय कुमार सिंह)

निर्दे शक

प्रबंध निर्देशक

डीआईएन : 02943220

डीआईएन सं. 06497700

दिनांक 18–09–2017 स्थान : नई दिल्ली

- 6. अगर कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने में नाकाम रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारण बताएगी
- कंपनी ने अभी तक अपना कारोबार शुरू नहीं किया है और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों (फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज) से है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 135 की आवश्यकताओं के मुताबिक शुद्ध लाभ 8,14,072 / रुपए है। किसी भी सीएसआर गतिविधि के लिए वर्तमान राशि बहुत छोटी है इसलिए, 21 मार्च 2017 को आयोजित बैठक में कंपनी की सीएसआर समिति ने अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित सीएसआर व्यय को आगे बढाने का निर्णय लिया है।
- 7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।
- वर्तमान में कंपनी ने अपना परिचालन शुरू नहीं किया है और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों से है (फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज) अनुपालन तंत्र के हिस्से के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी सभी प्रकटीकरण और संरचनाओं का पालन किया जाएगा और जब निगम की परिचालन शुरू की जाएगी।

ਵ.

बिजय कुमार त्रिपाठी अध्यक्ष सीएसआर समिति **ह**.

विनय कुमार सिंह प्रबंध निदेशक

- 6. In case the company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report.
- Company is yet to commence its business and its total income is only from the other sources (interest on fixed deposits). Further, net profit in terms of requirements of section 135 of the Act is Rs 8,14,072/-. The present amount being too small for any CSR activity. Therefore, the CSR committee of the Company in its meeting held on March 21, 2017 have decided to carry forward the proposed CSR expenditure in the next financial year.
- 7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.
- Currently company has not started its operations and its total income is only from the other sources (interest on fixed deposits). As part of compliance mechanism, all disclosures and compositions as required under Companies Act, 2013 shall be adhered as and when the operations of Corporation are initiated.

Sd/-Bijay Kumar Tripathi Chairman CSR Committee Sd/-Vinay Kumar Singh Managing Director

# अनुलग्नक ४

फॉर्म नं. एमजीटी 9

# वार्षिक विवरण का उद्दरण

31—03—2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) अधिनियम 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार।

# I. पंजीकरण और अन्य विवरणः

1.	सीआईएन	U60200 DL2013GOI256716
2.	पंजीकरण की तारीख	21/08/2013
3.	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन
		निगम लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी /
		केंद्र सरकार की कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता	एएमडीए बिल्डिंग, 7/6, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,
	और संपर्क विवरण	अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली —110049
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
7.	रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट का	लागू नहीं
	नाम पता, एवं संपर्क विवरण	
	यदि कोई हो	

II कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां (सभी व्यवसायिक गतिविधियों जो कंपनी के कुल कारोबार का 10% या अधिक योगदान दे रही हैं):

क्र. स	प्रमुख उत्पाद एवं सेवा का	उत्पाद/सेवा का	कम्पनी के कुल
	नाम और विवरण	एनआईसी कोड	टर्नओवर का प्रतिशत
1.	लागू नहीं (कंपनी ने संचालन शुरू नहीं किया है )		

III- होल्डिंग और सहायक कंपनियों के विवरणः लागू नहीं (इस रिपोर्ट की तारीख में कंपनी की कोई सहायक नहीं है)

(i) अन्य लोग (उल्लिखित करना)									
सब टोटल (बी) (1									
2. गैर—संस्थागत									
(ए) निकाय कार्पोरेशन									
(बी) भारतीय									
(सी) प्रवासी	-				-				
(डी) व्यक्तियों									
(1) व्यक्तिगत शयर धारक जो एक लाख तक के शेयर धारण कर रहे हों					-1			1	
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक जो 1 लाख रु से अधिक शेयर पूंजी धारण करते हों			-		1	-	-	1	1
सी. अन्य (उल्लिखित करना)									1
अनिवासी भारतीय									l
प्रवासी कॉर्पोरेट निकाय		:							1
विदेशी									2000
नागरिक									
क्लियरिंग 									
सदस्य							·		
न्यास विदेशी संस्थाएं									
डी आर									
सब टोटल (बी) (2)									
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी) = (बी) (1)+ (बी) (2)									
सी. शेयरों का आयोजन के लिए संरक्षक द्वारा जीडीआर और एडीआर									1
कुल योग (ए+ बी+ सी)		10000000	10000000	100		10000000	10000000	100	

#### Annexure 4

# FORM NO. MGT 9

## EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on financial year ended on 31.03.2017

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

#### I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1.	CIN	U60200 DL2013GOI256716
2.	Registration Date	21/08/2013
3.	Name of the Company	National Capital Region Transport Corporation Limited
4.	Category/Sub-category of the Company	Company limited by Shares / Union Government Company
5.	Address of the Registered office & contact details	AMDA Building, 7/6, Siri Fort Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110049
6.	Whether listed company	No
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	Not Applicable

# II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY (All The business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. No.	Name and Description of main Products / Services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1.	N.A (Company has not started its operation)		

III. Particulars of Holding & Subsidiaries Company: N.A (Company has no subsidiary as in date of this report.

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेक अप ) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों		र्रे प्रारम्भ में		संख्या,		मंत में आयोजि			वर्ष
की श्रेणी		प्रैल 2016 व	<u>গা)</u>			ग्रा, (31 मार्च—:	2017 का)		के
	डीमेट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमेट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(ए) व्यक्तिगत एचयूएफ				·					
(बी) केन्द्रीय सरकार		5000000	5000000	50.00		5000000	5000000	50.00	
(सी) राज्य सरकार (रें)		5000000	5000000	50.00		5000000	5000000	50.00	
(डी) निकाय कार्पोरेशन									
(ई) बैंक / एफ. आई.									
(एफ) कोई अन्य									
सब टोटल (ए) (1)		10000000	10000000	100		10000000	10000000	100	
2. विदेशी									
ए. एनआरआई / व्यक्तिगत					-			-	
बी.अन्य व्यक्तिगत									
सी. निकायों कॉर्पोरेट्स									
डी. बैंक/एफ 1									
ई. अन्य कोई									
सब टोटल (ए) (2)									-
प्रमोटर के कुल शेयर होल्डिंग (ए) (1). (ए) (2)		10000000	10000000	100	-	10000000	10000000	100	
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थानों	·								
(ए) म्यूचुअल फंड्स									
(बी) बैंकों / एफ. आई.				1					
(सी) केन्द्रीय सरकार									
(डी) राज्य सरकार (रें)									
(ई) वेंचर पूंजीगत निधि				,					
(एफ) बीमा कंपनियों		-							
(जी) एफआईआई									
(एच) विदेशी वेंचर पूंजीगत निधि									

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year[As on 01-April 2016]				No. of Shares held at the end of year[As on 31-March-2017]				% Cha
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	ng du in th
A.Promoters									
(1)Indian									
a. Indidual/ HUF									
b. Central Govt.		5000000	5000000	50.00		5000000	5000000	50.00	
c. State Govt.(s)		5000000	5000000	50.00		5000000	5000000	50.00	
d. Bodies Corp.									
e. Banks / F1									
f. Any other									
Sub Total(A)(1)	-	10000000	10000000	100		10000000	10000000	100	
2. Foreign									
a. NRIs- Individuals								-	
b. Other- Individuals					-				
c. Bodies Corporates									
d. Banks/ FI									
e. Any other									
Sub Total(A)(2)									-
Total Share- holding of Promoter (A)= (A) (1)+(A)(2) B. Public Share		10000000	10000000	100		10000000	10000000	100	
Holding									
1. Institutions				1. <del></del> 1.					
a. Mutual Funds									
b. Banks/FI									
c. Central Govt.									
d. State Govt.(s)									
e. Venture Capital Funds	-				1				
f. Insurance Companies								1	
g. FIIs									
h. Foreign Venture Capital Funds									

i. Others (Specify)	 			 			
Sub-Total (B)(1)	 			 			
2. Non-Instititions							
a. Bodies Corp.	 			 	-	-	
b. Indian	 			 			
c. Overseas	 			 			
d. Individuals	 			 -	-		
i. Individual Share holders holding nominal share capital upto Rs.1 lakh	 			 	1		
ii. Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs.1 lakh	 -			 -	-	1	1
c. Other (Specify)	 			 			1
Non Resident Indians	 			 			1
Overseas Corporate Bodies	 			 	_		l
Foreign Nationals	 			 			
Clearing Members	 			 			
Trusts	 			 			
Foreign Bodies DR	 			 			
Sub-Total(B)(2)	 			 			
Total Public Share holding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	 			 			
C. Shares held by custodian for GDRs & ADRs	 			 		1	
Grand Total (A+B+C)	 10000000	10000000	100	 10000000	10000000	100	

# **B.** Shareholding of Promoter:

Shareholder's	100000000000000000000000000000000000000		ling at the begin	ning		holding at the end	
Name	of the	year[As on	01-April 2016]	0	of year [As on 31-March-2017]		
	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Share Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	% chan ge in share holding during the year
Ministry of     Urban							
Develop- ment	2250000	22.50	0.00	2250000	22.50	0.00	0.00
2. Ministry of Railways	2250000	22.50	0.00	2250000	22.50	0.00	0.00
3. NCR Planning Board	500000	5		500000	5	0.00	0.00
4. Govt. of NCT of Delhi	1250000	12.50	0.00	1250000	12.50	0.00	0.00
5. Govt. of Haryana	1250000	12.50	0.00	1250000	12.50	0.00	0.00
6. Govt. of Rajasthan	1250000	12.50	0.00	1250000	12.50	0.00	0.00
7. Govt. of UP	1250000	12.50	0.00	1250000	12.50	0.00	0.00

# C. Change in promoter's shareholding (please specify, if there is no change)

# No change during the year

S.No.	Particulars	Shareholding	at the beginning of	Cumulative Shareholding during		
		the year (As	on 01-04-2016)	the year		
		No. of Shares	% of total shares	No. of Shares	% of Total shares	
			of the company		of the company	
1.	Shareholding at the beginning of the year	10000000	100	10000000	100	
2.	Change during the year					
3.	At the end of the year	10000000	100	10000000	100	

# D. Shareholding Pattern of top ten shareholders:

(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): NIL

# (ई) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबन्धकीए कार्मिक की शेयर होल्डिंगः शून्य

# (एफ) ऋणग्रस्त कंपनी की ऋणग्रस्तता, ब्याज की बकाया सहित/उपार्जित पर भुगतान के लिए देय नहीं

	जमा छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i. मुख्य राशि				
ii. ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
iii. उर्पाजित ब्याज लेकिन देय नहीं				
कुल (i + ii + iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता परिवर्तन				
* जोड़				
* कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणी				
i. मुख्य राशि				
ii ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
iii. देय ब्याज उपार्जित लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
कुल (i + ii + iii)				

XI निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिकः ए प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबंधक का पारिश्रमिकः

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	एमडी / डब्ल	एमडी / डब्लूटीडी / प्रबंधक का नाम				
		श्री विनय	श्री विनय कुमार सिंह, प्रबंध निर्देशक				
1.	सकल वेतन						
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	20,12,854				20,12,854	
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के अनुसार अनुलाभ	24,300				24,300	

## E. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel: NIL

**F. Indebtedness-** Indebtedness of the Company including interest outstanding / accured but not due for payment.

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebted- ness
Indebtedness at the beginning				
of the financial year				
i. Principal Amount				
ii. Interest due but not paid				
iii. Interest accured but not due				
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during				
the financial year				
*Addition				
*Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of				
the financial Year				
i. Principal Amount				
ii. Interest due but not paid				
iii. Interest accured but not due				
Total (i+ii+iii)				

## XI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

A. Remuneration of Managing Director, Whole-Time Directors and or Manager:

S.No.	Particulars of Remuneration				Total
		Sh. Vinay K		h,	Amount
		Managing I	Director		(in Rs.)
1.	Gross Salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act 1961	20,12,854			 20,12,854
	(b) Value of perquisites u/s 17(2)Income-Tax Act, 1961	24,300			 24,300

# बी. प्रमोटर के शेयरधारकः

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम		र्ष के प्रारम्भ लिंडग (01-	में शेयर -अप्रैल 2016 क	ने)	वर्ष के अंत मे होल्डिंग (31-		
		शेयर संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	गिरवी / भारग्रस्त कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल भारग्रस्त / गिरवी कुल शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलाव
1.	शहरी विकास मंत्रालय	2250000	22.50	0.00	2250000	22.50	0.00	0.00
2.	रेलवे मंत्रालय	2250000	22.50	0.00	2250000	22.50	0.00	0.00
3.	एनसीआर योजना बोर्ड	500000	5	0.00	500000	5	0.00	0.00
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1250000	12.50	0.00	1250000	12.50	0.00	0.00
5.	हरियाणा सरकार	1250000	12.50	0.00	1250000	12.50	0.00	0.00
6.	राजस्थान सरकार	1250000	12.50	0.00	1250000	12.50	0.00	0.00
7.	उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50	0.00	1250000	12.50	0.00	0.00

# सी. प्रमोटर के शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है) वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं

4		2.0				
क्र.सं	विवरण	वर्ष की शुरुअ शेयरहोल्डिंग	ात में (01–04–2016 को)	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग		
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
1.	वर्ष के शुरुआत में शेयरहोल्डिंग	10000000	100	10000000	100	
2.	वर्ष के दौरान बदलें					
3.	वर्ष के अंत में	10000000	100	10000000	100	

डी.शीर्ष दस शेयरघारकों की शेयर होल्डिंग पैटर्नः (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर के घारकों के अलावा)ः शून्य

	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income Tax Act-1961		 	 
2.	Stock Option		 	 
3.	Sweat Equity		 	 
4.	Commission -as% of profit -others,specify		 	 
5.	Others, please specify		 	 
Tota	al(A)	20,37,154	 	 20,37,154

# B. Remuneration to other directors: Not Applicable

(Directors other than MD are nominee Directors and no remuneration is paid by the Company to nominee Director)

SNo	Particulars of Remuneration	Name of I	Directors		Total Amount
1.	Independent Directors			1	
	Fee for attending board committee meetings				
	Commission				
	Others, please specify				-
	Total (1)				
2.	Other Non Executive Directors				
	Fee for attending board committee meetings				1
	Commission				
	Others, Please specify				
	Total (2)				
	Total (B)=(1+2)				
	Total Managerial Remuneration				-
	Overall Ceiling as per the act				

	सी. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के अनुसार वेतन बदले लाभ		 		
2.	स्टॉक विकल्प		 		
3.	स्वेट ईक्विटी		 	1	
4.	कमीशन लाभ का प्रतिशत –अन्य (निर्दिष्ट करें)		 		
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		 		
कुल	न (ए)	20,37,154	 		20,37,154

# बी. अन्य निदेशकों के लिए पारिश्रमिकः लागू नहीं (एमडी के अलावा अन्य निदेशक नामांकित निर्देशक हैं और कंपनी द्वारा नामांकित निर्देशकों को कोई पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाता है)

क्र. सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशक	ों का नाम	कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशकों का शुल्क			 
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग			 
	लेने के लिए			 
	कमीशन			 
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			 
	कुल (1)			
2.	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक			 
	कमेटी मीटिंग में भाग लेने के लिए शुल्क			 
	कमीशन			 
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			 [
	कुल (2)			 
	कुल (बी) = (1+ 2)			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			 
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			 

# सी. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / डब्लूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक लागू नहीं

	0 0 10		प्रमुख प्रबंधव	रीय कार्मिक	
क्रम	पारिश्रमिक के विवरण	सी ई ओ	सीएस	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन	-			
	ए. आयकर अधिनियम 1961 के धारा 17 (1) के अनुसार वेतन	1		1	<b>.</b>
	बी. आयकर अधिनियम 1961 के धारा 17 (2) के अनुसार अनुलाभ	1		-	-
	सी. आयकर अधिनियम 1961 के धारा 17 (3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	_			
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	स्वेट इक्विटी				
4.	कमीशन				
	लाभ का प्रतिशत				
	अन्य (निर्दिष्ट करें				<u></u>
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-			
	कुल				

# xii

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड / सजा / कंपाउंडिंग शुल्क लगाए गए का विवरण	ऑथोर्टी (आरडी / एनसीएलटी /	अपील यदि कोई की गयी (विस्तार से बतायें)
ए कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी निर्देशक		-			
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी डिफॉल्ट में 3	न्य अधिकारी 				7
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

# C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD / MANAGER / WTD: $\bf NOT\ APPLICABLE$

S		Key Managerial Personnel				
No	Particulars of Remuneration	CEO	CS	CFO	Total	
1.	Gross Salary					
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of					
	the Income Tax Act 1961					
	(b) Value of perquisites					
	u/s 17(2) Income-Tax Act,					
	1961				T	
	(c) Profits in lieu of salary					
	under section 17(3) Income					
	Tax Act-1961					
2.	Stock Option					
3.	Sweat Equity					
4.	Commission					
	-as % of profit					
	others, specify					
5.	Others, please specify					
Tot	al					

#### XII. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type   Section of the   Brief   Details of   Authority   Appeal							
Section of the	Brief	Details of	Authority	Appeal			
Companies Act	Description	Penalty /	(RD/NCLT/	Made,			
177K		Punishment/	Court)	if any			
		Compounding		(give			
		fees imposed		details)			
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL			
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL			
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL			
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL			
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL			
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL			
CERS IN DEFAUL	Т						
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL			
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL			
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL			
	Section of the Companies Act  NIL  NIL  NIL  NIL  NIL  NIL  NIL  NI	Section of the Companies Act  NIL NIL NIL NIL  NIL NIL NIL  NIL NIL  NIL NIL  NIL NIL  NIL NIL  NIL NIL  NIL NIL  NIL NIL  NIL NIL  NIL	Section of the Companies Act    Description   Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Section of the Companies Act Description Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed  NIL			

सारीया गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड अकाऊंटेंटस 10174 / 1 ए , गुरुद्वारा रोड करोलबाग, नई दिल्ली –05 फोन : 28753775 . 28753774

# लेखा परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के सदस्य

# वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ट्रांसपोर्ट निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों का लेखा—परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2017 तक बैलेंस शीट वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी और नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश वर्ष के अंत तक शामिल है।

# वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन की सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं और आम तौर पर भारत में स्वीकार लेखा के सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक सहित, इसे कंपनियों (लेखा) के 2014 नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उचित लेखा नीतियों का चयन और आवेदन निर्णय और उचित और विवेकपूर्ण अनुमान और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता व प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलती से मुक्त होते हैं।

# लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा—परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा के मानकों और मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें प्राधिकरण के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता है। हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार लेखापरीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का निष्पादन करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हैं या नहीं।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के बारे में लेखों और खुलासे के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक अशुद्धि के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण। उन जोखिम आकलनों को बनाने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की कंपनी की तैयारी के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए एक सत्य और निष्पक्ष राय देता है। एक लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन के अनुमानों की उचितता का मूल्यांकन भी शामिल है, साथ ही वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

#### राय

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरणों से इस तरह की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं।

- क) 31 मार्च 2017 तक कंपनी के मामलों के मामले में बैलेंस शीट के मामले में
- ख) उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि की विवरणी के मामले में तथा
- ग) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के नकदी प्रवाह विवरण के मामले में अन्य कानूनी नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट
- अधिनियम की धारा 143 के उप—धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के अनुसार, संलग्नक 'ए' में उस क्रम के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरणी संलग्न है, लागू सीमा तक।
- 2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक है, हम यह रिपोर्ट करते हैं किः
- क) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त कर लिया है, जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

SARIA GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

10174//1A, GURUDWARA ROAD KAROLBAGH, NEW DELHI-05 Ph:- 28753775, 28753774

#### INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**TO THE** 

**MEMBERS OF** 

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

#### **Report on the Financial Statements**

We have audited the accompanying financial statements of National Capital Region Transport Corporation Ltd., which comprise the Balance Sheet as at March 31<sup>st</sup>, 2017, the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

#### **Management Responsibility for the Financial Statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act 2013 (the Act) with respect to preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with the Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for insuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the

- ख) हमारे विचार से लेखा—पुस्तकों को देखने से प्रतीत होता है कि कानून अनुसार कम्पनी द्वारा लेखा—बही को सही ढंग से रखा गया।
- ग) इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, और नकदी प्रवाह स्टेटमेंट, खाते की लेखा पुस्तकों से सम्बन्धित हैं।
- घ) हमारे विचार में, उपरोक्त वित्तीय विवरणों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- ड.) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च 2017 को निर्देशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च 2017 को निदेशक मंडल द्वारा अधिनियम के 164 (2) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से कोई भी निषिद्ध नहीं है।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक 'बी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें और
- छ) कंपनियां (लेखा परीक्षा और प्राधिकरण) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- i कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी।
- ंवंपनी के पास लंबी अवधि के अनुबंधों पर कोई बड़ी निकट भविष्य में हानि नहीं थी
   व्युत्पिक (डेरिवेटिव) अनुबंधों सहित
- iii कंपनी द्वारा निवेशक की शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कोई भी राशि नहीं थी।
- iv कंपनी ने अपने वित्तीय वक्तव्यों में अपेक्षित खुलासे प्रदान किए है. 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अविध के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोट्स के साथ—साथ होल्डिंग्स और सौदे भी इन पुस्तकों के अनुसार हैं कंपनी द्वारा बनाए गए खातों की वित्तीय नोट के लिए नंबर 21 वक्तव्यों को संदर्भित किया जा सकता है
- ज) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एक्ट की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार, हम अनुलग्नक सी में अनुपालन देते हैं।

सारीया गुप्ता एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या — 003168 एन

दिनांक 27-06-2017 स्थान : नई दिल्ली

ह. (सीए सुमित गुप्ता) पार्टनर एम. संख्या 513321 Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements

#### **Opinion**

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31<sup>st</sup>, 2017.
- b) In the case of the statement of Profit and Loss, of the profit for the year ended on that date; and
- c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

## Report on Other Legal Regulatory Requirements

- 1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we enclose in the Annexure 'A', a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the said order, to the extent applicable.
- 2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

# 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के सदस्य को तारीख तक की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 'ए'

ऐसी जाँच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मामले में जैसा कि हमने उचित माना हम यह कहते हैं कि:

- (i) अपनी अचल संपत्तियों के संबंध में: —
- (ए) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिनमें शामिल हैं—मात्रात्मक, विवरण और अचल संपत्ति की स्थिति।
- (बी) कंपनी के पास अपनी अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो इस कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध तरीके से सभी अचल संपत्तियों की पुष्टि की जाती है कि कुछ निश्चित परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान सत्यापित किया गया था। सूचना के अनुसार और हमें दिया गया स्पष्टीकरण, ऐसे सत्यापन पर कोई भी भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।
- (सी) हमारे द्वारा प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता है कि कंपनी के नाम पर अचल संपत्तियों के शीर्षक कार्य लागू नहीं होते हैं।
- (ii) कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति ऐसी है कि कंपनियों के खंड 3 (ii) (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 वस्तू सूची के रखरखाव के संबंध में आदेश लागू नहीं है।
- (iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रिजस्टर में कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य दलों को किसी प्रकार का ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, खंड 3 (iii) (ए), (बी) और (सी) कंपनियों (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 लागू नहीं होते।
- (iv) कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 में निर्दिष्ट कोई भी ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं है। तदनुसार, ऑर्डर के पैरा 3 (iv) लागू नहीं है।
- (v) कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है।
- (vi) जैसा कि हमें बताया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा किए गए गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 के उप–धारा (i) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।
- (vii) सांविधिक देयताओं के संबंध में:
- (ए) अभिलेखों के मुताबिक, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी आमतौर पर उपयुक्त अधिकारियों को भविष्य निधि, कर्मचारियों की राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि के रूप में जमा करने में नियमित है और कोई निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2016 तक के लिए तारीख से छह महीने से अधिक की अविध के लिए बकाया के रूप में देय नहीं है।
- (बी) हमारे द्वारा मांगी गई और कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक आयकर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सेस और अन्य भौतिक वैधानिक देय के संबंध में 31 मार्च 2016 के लिए देय समय से छह महीने से अधिक की अवधि तक कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है।

- b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified in Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- e) On the basis of written representations received from the directors as on March 31<sup>st</sup>, 2017 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31<sup>st</sup>, 2017, from being appointed as a director in terms of section 164 (2) of the Act.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure 'B' and
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
  - i. The company does not have any pending litigation which would impact its financial position.
  - ii. The Company did not have any material foreseeable losses on long term contracts including derivatives contracts.
  - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
  - iv. The company has provided requisite disclosures in its financial statements as to holdings as well as dealings in the Specified Bank Notes during the period from 8 November, 2016 to 30 December, 2016 and these are in accordance with the books of accounts maintained by the Company. For the same Note No. 21 to the financial statements can be referred.
- h) As required by the directions issued by the Comptroller and Auditor-General of India, in terms of sub section (5) of section 143 of the Act, we give the compliance In Annexure C.

For SARIA GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Registration No.:- 003168N

Sd/-

Place: New Delhi Date: 27-06-2017 (CA Sumit Gupta) Partner M. No. 513321

- (सी) कंपनी के अभिलेख के मुताबिक, विवाद के कारण बिक्री कर / आयकर / वैट / कस्टम ड्यूटी / एक्साइज ड्यूटी / सेस की कोई बकाया राशि जमा नहीं हुई है।
- (viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंकों के लिए कोई बकाया राशि नहीं है और इसलिए यह खंड लागू नहीं है। डिवैंचर धारकों, सरकार और वित्तीय संस्थानों को पुनःभुगतान बकाया नहीं था।
- (ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या पुनः सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) और अवधि ऋण के माध्यम से कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(i) लागू नहीं है।
- (x) कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कोई भी धोखाधड़ी हमारे लेखापरीक्षा के दौरान नहीं देखी गई।
- (xi) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची V के साथ कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार कंपनी ने प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसके अनुसार, आदेश का पैरा 3 (xii) लागू नहीं है।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ अधिनियम की धारा 177 और 188 के तहत कोई लेन—देन नहीं किया गया है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।
- (xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों की निजी नियुक्ति या पूरी तरह या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर या तरजीही आवंटन नहीं किया है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने निर्देशकों या उसके साथ जुड़े लोगों के साथ गैर नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xv) लागू नहीं है।
- (xvi) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45—आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है.

सारिया गुप्ता एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्याः — 003168 एन ह. (सीए सुमित गुप्ता) पार्टनर एम. संख्या 513321

दिनांक 27–06–2017 स्थान : नई दिल्ली

- outstanding as at 31 March, 2016 for a period of more than six months from the date they became payable.
- (c) According to the records of the company, there are no dues of sales tax/ income-tax/ value added tax/ customs duty/ excise duty/ cess which have not been deposited on account of dispute.
- (viii)In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are no outstanding dues to banks and hence this clause is not applicable. There were no dues repayable to debenture holders, government and financial institutions.
- (ix) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Accordingly, paragraph 3 (ix) of the Order is not applicable.
- (x) According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.
- (xi)The Company has paid managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 of the Companies Act 2013 read with Schedule V to Companies Act 2013.
- (xii)In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii)According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, there are no transactions with the related parties under sections 177 and 188 of the Act, hence this clause is not applicable.
- (xiv) According to the information and explanations give to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year.
- (xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.
- (xvi)The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.

For SARIA GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS Firm Registration No.:- 003168N

Sd/-

Place: New Delhi Date: 27-06-2017 (CA Sumit Gupta)
Partner
M. No. 513321

अनुलग्नक बी कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की घारा 143 के उप—घारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के सदस्यों को अभी तक की तारीख के बारे में लेखा परिक्षक की रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा—परीक्षा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा—परीक्षण किया है।

# आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जो आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार कर रहा है, जो संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश, जिसे भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आईसीएआई') इंस्टीट्यूट द्वरा जारी किया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। लेखा अभिलेख की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना शामिल है।

#### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन नोट') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार लेखा—परीक्षा आयोजित की थी। और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग के मानक, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित वित्तीय मानकों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, और दोनों चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का पालन करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना रखी गई है और इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना, जो कि एक कमजोरी मौजूद है, और आंकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण आंकलन शामिल हैं।

सारिया गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट 10174/1 ए, गुरुद्वारा रोड करोल बाग, नई दिल्ली –5 फोनः – 28753775, 28753774

अनुबंध-सी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वार्षिक खातों के लेखापरीक्षा के दौरान वर्ष 2016—17 के लिए संवैधानिक लेखाकारों द्वारा दिए गए क्षेत्रों को इंगित करने संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परिक्षक द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश।

1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का निर्बंध अधिकार या पट्टा है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड / लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिसका निर्बन्ध अधिकार / पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	लागू नहीं
2.	क्या ऋण माफी / त्याग / ऋण / ब्याज आदि का मामला है, यदि हां, तो उसका कारण और शामिल राशि बताएं	लागू नहीं क्योंकि निगम ने अभी वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करना है।
3.	क्या सरकार या अन्य ऑथर्टीज से भत्ता / अनुदान (अनुदान) के रूप में प्राप्त तृतीय पक्षों और परिसंपत्तियों के साथ पड़ी सूची के लिए उचित अभिलेख रखे गए हैं?	लागू नहीं

सारिया गुप्ता एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्याः — 003168 एन

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 27–06–2017

हस्ता / — (सुमित गुप्ता) साथी एम. संख्या 513321 सारिया गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट् 10174 / 1 ए , गुरुद्वारा रोड करोलबाग नई दिल्ली –05 फोन : 28753775 , 28753774

# लेखा परीक्षकों का अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31—3—2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 7/6, एएमडीए बिल्डिंग, सिरीफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली—110049 में है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा—निर्देशों तथा उप दिशा—निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने सभी दिशा निर्देशों / उपनिर्देशों का पालन किया।

सारिया गुप्ता एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह. (सुमित गुप्ता) पार्टनर एम नं. 513 321 फर्म पंजीकरण संख्याः — 003168 एन

दिनांकः 27–06–2017 स्थानः नई दिल्ली

# Annexure 'A' to the Auditors' Report of even date to the Member of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED on the financial statements for the year ended March 31st 2017

On the basis of such checks as we considered appropriate and in terms of information and explanations given to us, we state that:-

- (i) In respect of its fixed assets:-
  - (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative, details and the situation of fixed assets.
  - (b) The Company has a regular programme of physical verification of its fixed assets by which all fixed assets are verified in phased manner, in accordance with this programme certain fixed assets were verified during the year. According to the information and explanation given to us, no material discrepancies have been noticed on such verification.
  - (c) According to the information and explanation received by us, as the company doesn't own any immovable property, hence the requirement on reporting whether title deeds of immovable properties held in the name of the company is not applicable.
- (ii) The nature of the company's business activities is such that clause 3(ii) of the Companies (Auditor's Report) order 2016 with regard to maintenance of inventory is not applicable.
- (iii) The company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnership or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. Consequently, the requirement of clause 3(iii) (a), (b) and (c) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 is not applicable.
- (iv)The company does not have any loans, investments, guarantees and security referred to in section 185 and 186 of the companies act, 2013. Accordingly, paragraph 3(iv) of the Order is not applicable
- (v) The Company has not accepted any deposits from the public.
- (vi)As informed to us, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under sub-section (I) of Section 148 of the Act, in respect of the activities carried on by the Company.
- (vii)In respect of statutory dues:
  - (a) According to the records, information and explanations provided to us, the Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax., service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other material statutory dues as applicable to it and no undisputed amounts payable were outstanding as at March 31<sup>st</sup>, 2016 for a period of more than six months from the date they became payable.
  - (b) According to the information and explanation sought by us and given to us by the company, there were no undisputed amounts payable in respect of Income-tax, Custom Duty, Excise Duty, Sales Tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears/were

SARIA GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS 10174/1A, GURUDWARA ROAD KAROL BAGH, NEW DELHI-05. Ph:- 28753775, 28753774

ANNEXURE-C
DIRECTIONS INDICATING THE AREAS TO BE EXAMINED BY THE STATUTORY
AUDITORS DURING THE COURSE OF AUDIT OF ANNUAL ACCOUNTS OF
NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LTD. FOR THE YEAR
2016-17 ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

1.	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available?	Not Applicable
2.	Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/ loans / interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	Not Applicable as the corporation is yet to initiate any commercial operations
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/grant(s) from Govt. or other Authorities	Not Applicable

For SARIA GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS Firm Registration No.:- 003168N

. . . .

Sd/-

(Sumit Gupta) Partner

M. No. 513321

Place: New Delhi

Date: 27-06-2017

ANNEXURE. B TO THE AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE TO THE MEMBERS OF THE NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS UNDER CLAUSE (i) OF SUB-SECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ("THE ACT").

We have audited the internal financial controls over financial reporting of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED as of 31 March 2017 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

#### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा पर ली गई राय के आधार पर हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने की एक प्रक्रिया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों को शामिल करता है और प्रक्रियाओं (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, सही तरीके से और कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को काफी प्रतिबिंबित करता है (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक लेनदेन रिकॉर्ड किए गए हैं आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बयान, और वह प्राप्तियां और कंपनी के व्यय प्रबंधन और कंपनी के अनुसार किए जा रहे हैं और (3) निर्देशानुसार कंपनी के अनिधृत अधिग्रहण का पता लगाना या रोकथाम उपयोग या कम्पनी की परिसंपत्तियों की प्रवृति जिनके वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो सकता है उचित आश्वासन देना है।

# वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की ओवरराइड की संभावना और भौतिक गलत बयान के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी हो सकती है और पता नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में होने वाले परिवर्तनों की वजह से अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन खराब हो सकते हैं।

#### राय

हमारी राय में, कंपनी सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर 31 मार्च 2017 तक प्रभावी ढंग से काम कर रही थी, जो कम्पनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक को मद्देनजर रखते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थी जिसे भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है।

दिनांक 27-06-2017 स्थान : नई दिल्ली सारिया गुप्ता एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्याः — 003168 एन ह. (सीए सुमित गुप्ता) पार्टनर एम संख्या 513 321 SARIA GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS 10174/1A, GURUDWARA ROAD KAROL BAGH, NEW DELHI-05. Ph:-28753775, 28753774

#### **AUDITORS COMPLIANCE CERTIFICATE**

We have conducted the Audit of Accounts of National Capital Region Transport Corporation Limited having its registered office at 7/6, AMDA Building, Siri Fort Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110049 ("the Company") for the year ended 31.03.2017 in accordance with directions/sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143 (5) of the Companies Act., 2013 and certify that we have complied with all the directions/sub directions issued to us.

#### For SARIA GUPTA & CO.

Chartered Accountants

Sd/-

**SUMIT GUPTA** 

Partner M.No.513321

Firm Reg:-003168N

Date: 27-06-2017 Place: New Delhi

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

		राशि रु. में	राशि रु. में	
		पर जैसा	पर जैसा	
	टिप्पणियाँ	31.03.2017	31.03.2016	
राजस्व				
अन्य आय	13	7,92,15,788	7,37,80,351	
कुल राजस्व		7,92,15,788	7,37,80,351	
व्यय				
कर्मचारी लाभ व्यय	14	55,19,322		
मूल्यहास और परिशोधन	7	14,21,685		
अन्य खर्चे	15	1,26,29,913	18,48,762	
कुल खर्च		1,95,70,920	18,48,762	
कर देने से पूर्व लाभ		5,96,44,868	7,19,31,589	
टैक्स व्यय		2,50,11,000	7,13,51,503	
वर्तमान कर				
आस्थगित कर		1,91,13,720	2,43,84,273	
पहले वर्ष कर		5,82,453	3,81,540	
इस साल का मुनाफा		(6)	13,41,578	
प्रति इक्विटी शेयर आय		3,99,48,701	4,58,24,198	
बुनियादी				
पतला (डाइल्यूटेड)		3.99	4.71	
		3.99	4.71	
1 से 21 नोट्स इन वित्तीय वक्तव्यों का अभिन्न अंग बनाते हैं साथ में दिए गए नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं। जुड़ी तारीखों की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में				
सारिया गुप्ता एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट F-R- संख्या। 003168N		बोर्ड की	ओर से और इसके लिए	
हस्ता/–	हस्ता/– विनय कुमार सिंह	A	हस्ता/–	
सुमित गुप्ता (साथी)	(प्रबंध निर्देशक)	बिजय कुमार त्रिपाठी (निर्देशक)		
सदस्यता संः 513321	डीआईएनः 06497700	डीः	आईएनः 02943220	
दिनांकः 27–06–2017 स्थानः नई दिल्ली			नाकेत कुमार सिंह (कंपनी सचिव)	

38

सदस्यता संः ए 21652

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट

To delicate the second			
		(रुपये में राशि)	(रुपये में राशि)
·	9 99 9	पर जैसा	पर जैसा
	टिप्पणियाँ	31.03.2017	31.03.2016
इक्विटी और देयता			
अंशघारियों की निधि	_		
शेयर पूंजी	3	100,00,00,000	100,00,00,000
रिजर्व और अधिशेष	4	11,96,17,204	7,96,68,503
		111,96,17,204	107,96,68,503
गैर मौजूदा देनदारियां			
वर्तमान देनदारियां			
लघु अवधि के प्रावधान	5	30,78,026	5,05,986
अन्य चालू देनदारियां	6	1,23,12,672	2, 15,953
		1,53,90,698	7,21,939
कुल		113,50,07,902	108,03,90,442
संपत्तियां			
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
अचल सम्पत्ति			
मूर्त संपत्ति	7	1,01,38,428	
अमूर्त संपत्ति		1,50,389	
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस		4,32,13,457	
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	8	19,08,270	
आस्थगित कर परिसंपत्ति	9	2,82,527	8,64,980
		5,56,93,071	8,64,980
वर्तमान संपत्ति		3,30,73,071	0,04,700
नकद और बैंक बैलेंस	10	101,43,49,549	104,89,11,118
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	71,471	34,841
	12		
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	12	6,48,93,811	3,05,79,503
		107,93, 14,831	107,95,25,462
1 से 21 नोट्स इन वित्तीय वक्तव्यों का साथ में दिए गए नोट वित्तीय विवरणों का ए जुड़ी तारीखों की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में	<b>अभिन्न अंग बनाते हैं</b> क अभिन्न हिस्सा हैं।	113,50,07,902	108,03,90,442
सारिया गुप्ता एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट		बोर्ड की	ओर से और इसके लिए
F-R- संख्या। 003168N			
हस्ता/—	हस्ता/-	,	हस्ता/-
सुमित गुप्ता	विनय कुमार सिंह	बिजय कुमार त्रिपाठी	
(साथी) सदस्यता सं. 513321	(प्रबंध निर्देशक)	-4	(निर्देशक)
सदस्यता स. 513321	डीआईएनः 06497700	•	तेआईएनः 02943220
<del>D. 11.1.</del> 07. 00. 0047			हस्ता / – साकेत कुमार सिंह
दिनांकः 27–06–2017 स्थानः नई दिल्ली			(कंपनी सचिव)
रजाम गर्च ।५एए॥	37	स	दस्यता सं. ए 21652
	<b>5.</b>		,

# NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED Statement of Profit and Loss for the year ended on 31st March 2017

		Amount in Rs	Amount in Rs
		As at	As at
	Notes	31.03.2017	31.03.2016
Revenue			
Other Income	13	7,92,15,788	7,37,80,351
<b>Total Revenue</b>		7,92,15,788	7,37,80,351
Expenses			
Employee Benefit Expenses	14	55,19,322	1
Depreciation and Amortisation	7	14,21,685	
Other Expenses	15	1,26,29,913	18,48,762
Total Expenses		1,95,70,920	18,48,762
Profit Before Tax		5,96,44,868	7,19,31,589
Tax Expenses			
Current Tax		1,91,13,720	2,43,84,273
Deferred Tax		5,82,453	3,81,540
Earlier Year Taxes		(6)	13,41,578
Profit for the Year	-	3,99,48,701	4,58,24,198
Earnings per equity share			
Basic		3.99	4.71
Diluted		3.99	4.71

Notes 1 to 21 form an integral part of these financial statements

The accompanying Notes are an integral part of the Financial Statements.

In terms of our Report of even date attached.

FOR SARIA GUPTA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. NO. 003168N

Sd/
Sd/
Sd/
Sd/
St/
St

SUMIT GUPTA Vinay Kumar Singh Bijay Kumar Tripathi (PARTNER) (Managing Director) (Director) M. NO. 513321 DIN:06497700 DIN:02943220

Date: 27-06-2017 Saket Kumar Singh

Place: New Delhi (Company Secretary)
38 M. NO. A21652

# NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED Balance Sheet as at 31st March 2017

		(Amount in Rs)	(Amount in Rs)	
		As at	As at	_
	Notes	31.03.2017	31.03.2016	
EQUITY AND LIABILITIES				
Shareholders funds				
Share Capital	3	100,00,00,000	100,00,00,000	
Reserves and Surplus	4	11,96,17,204	7,96,68,503	
		111,96,17,204	107,96,68,503	
Non Current Liabilities				
Current liabilities				
Short Term Provisions	5	30,78,026	5,05,986	
Other Current Liabilities	6	1,23,12,672	2, 15,953	
		1,53,90,698	7,21,939	
Total		113,50,07,902	108,03,90,442	
<u>ASSETS</u>				_
Non-Current Assets				
Fixed Assets	7			
Tangible Assets		1,01,38,428		
Intangible Assets		1,50,389		
Capital Work-in-Progress		4,32,13,457		
Long Term Loans & Advances	8	19,08,270		
Deferred Tax Assets	9	2,82,527	8,64,980	
		5,56,93,071	8,64,980	_
Current Assets				_
Cash and Bank Balances	10	101,43,49,549	104,89,11,118	
Short Term Loans and Advances	11	71,471	34,841	
Other Current Assets	12	6,48,93,811	3,05,79,503	
		107,93, 14,831	107,95,25,462	_
		113,50,07,902	108,03,90,442	_
				_

#### Notes 1 to 21 form an integral part of these financial statements

The accompanying Notes are an integral part of the Financial Statements.

In terms of our Report of even date attached

FOR SARIA GUPTA & CO. For and on behalf of the Board

**CHARTERED ACCOUNTANTS** 

F.R. NO. 003168N

Sd/- Sd/- Sd/- Sd/- SUMIT GUPTA Vinay Kumar Singh Bijay Kumar Tripathi

 (PARTNER)
 (Managing Director)
 (Director)

 M. NO. 513321
 DIN:06497700
 DIN:02943220

Sd/-

Date: 27-06-2017 Saket Kumar Singh
Place: New Delhi (Company Secretary)
37 M. NO. A21652

#### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड 7/6, एएमडीए बिल्डिंग, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली –49 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी राशि रु. में साशि रु. में

	राशि रु. में		राशि रु. में	
विवरण	31 मार्च 2017 को स	माप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को	समाप्त वर्ष के लिए
ए-परिचालन कार्यकलापों से नगदी प्रवाह				
कराधान से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)	5,96,44,868		7,19,31,589	
के लिए समायोजनः –				†
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	14,21,685 (79,215,788)		(73,780,351)	
ब्याज आय				-
कार्यशील पूंजी बदलावों से पहले ऑपरेटिंग लाभ	(18,149,235)		(1,848,762)	
कार्यशील पूंजी में गतिशीलता / -				
चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(40,289,588)		(309,924,479)	
ऋण और अग्रिमों में कमी / (वृद्धि) — दीर्घकालिक	(1,908,270) (36,630)		(18,587,574)	
ऋण और अग्रिमों में कमी / (वृद्धि) — लघु अवधि	(30,030)		(10,307,374)	
लघु अवधि के प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि			83,84,273	
वर्तमान देयताओं में (कमी) / वृद्धि	1,20,96,719 (48,287,004)		1,64,981 (321,811,561)	
ऑपरेटिंग गतिविधियों (प्रयुक्त) से नकद			100 No. 100 No	
घटायें : करों का भुगतान	16,541,674)	(64,828,678)	(25,725,851)	(347,537,412)
ऑपरेटिंग गतिविधियों (प्रयुक्त) से शुद्ध नकद		(64,828,678)		(347,537,412)
बी-निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अचल संपत्तियों की बिक्री / (खरीद) बैंक जमा में कमी / (वृद्धि)		(54,923,959)		
(12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाले)		9,63,68,754		
ब्याज प्राप्त किया		9.51.01.069	7,37,80,351	7 27 90 251
निवेश गतिविधियों (प्रयुक्त) से शुद्ध नकद		8,51,91,068 12,66,35,863	7,37,80,331	7,37,80,351
		,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
सी–वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी में (कमी) / वृद्धि			27,48,75,000	
शेयर आवेदन पैसे के लंबित आवंटन में (कमी) / वृद्धि			(224,875,000)	-
	-	-		50,000,000
वित्तपोषण गतिविधियों (प्रयुक्त) से शुद्ध नकद	-	-	_	50,000,000
डी–नेट वृद्धि / (कमी) नगदी या नगद समकक्ष के अर्नागत शहर बहिर / कमी ए+बी+सी		6,18,07,185		(223,757,061)
के अर्न्तगत शुद्ध बृद्धि / कमी.ए+बी+सी वर्ष की शुरूआत नकदं और नकद समकक्ष		2,00,000		22,39,57,061
साल के आरम्भ में नकद और नकद समकक्ष		6,20,07,185		2,00,000
साल के अंत में नकद और नकद समकक्ष नोट :		6,18,07,185		(223,757,061)
नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:				
चालू खाते में (शुद्ध)		6,19,42,185		2,00,000
अग्रदाय खाते में		65,000		
नकद और नकद समकक्ष		6,20,07,185		2,00,000

हमारी तारीख की रिपोर्ट के मुताबिक सारिया गुप्ता एंड कंपनी लिए

चार्टेंडेड एकाउंटेट एफ. आर. न. 003168N हस्ता/ – सुमित गुप्ता (साथी) एम. न. 513321 दिनांकः 27-06-2017 स्थानः नई दिल्ली बोर्ड की ओर से और इसके लिए

हस्ता / — विनय कुमार सिंह बि (प्रबंध निर्देशक) डीआईएनः ०६४९७७०० डी हस्ता / — साकेत कुमार सिंह

ह हस्ता / — ह बिजय कुमार त्रिपाठी ) (निर्देशक) 700 डीआईएन: 02943220

साकत कुमार सिह (कंपनी सचिव) एम. न. ए 21652 We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

#### Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (I) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

#### Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

#### **Opinion**

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For SARIA GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS Firm Registration No.:- 003168N

Sd/-

Place: New Delhi Date: 27-06-2017 (CA Sumit Gupta)
Partner
M. No. 513321

34

# NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED 7/6, AMDA Building, Siri Fort Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-49 CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2017

CASH FLOW STATEMENT FO		ount in Rs	Amount	
Particulars	For the Year ended	No. 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	For the Year ended	No. 27 (No. 1997) 1997   1997
A- CASH FLOW FROM	Tor are rear endec	2150174410112017	Tot the Teta chice	2150 11111011 2010
OPERATING ACTIVITIES				
Net profit /(loss) before taxation	5,96,44,868		7,19,31,589	
Adjustments for:-	3,70,11,000		7,17,51,507	
Depreciation and amortisation expense	14,21,685			
Interest income	(79,215,788)		(73,780,351)	
Operating profit before working capital	(75,215,700)		(75,700,551)	
changes	(18,149,235)		(1,848,762)	
Movement in working capital:-	(10,147,233)		(1,040,702)	
Decrease/(increase) in Current Assets	(40,289,588)		(309,924,479)	
Decrease/(increase) in loans and	(40,207,300)		(30),524,475)	
advances - Long Term	(1,908,270)			
Decrease/(increase) in loans and	(1,500,270)			
advances - Short Term	(36,630)		(18,587,574)	
(Decrease)/increase in Short	(30,030)		(10,307,374)	
Term Provisions			83,84,273	
Decrease)/increase in current liabilities	1,20,96,719		1,64,981	
Cash from/(used in) operating activities	(48,287,004)		(321,811,561)	
Less: taxes paid	16,541,674)	(64,828,678)		(347,537,412)
Net Cash from/(used in) operating activities	10,541,074)	(64,828,678)	(23,723,631)	(347,537,412)
B. CASH FLOW FROM INVESTING		(04,020,070)		(347,337,412)
ACTIVITIES				
Sale/ (purchase) of fixed assets		(54,923,959)		
Decrease/(increase) in bank deposits		9,63,68,754		
(having original maturity of more than 12 months)		7,03,00,734		
Interest received		8,51,91,068	7,37,80,351	7,37,80,351
Net cash from/(used in) investing activities		12,66,35,863	7,57,00,551	7,37,80,351
C. CASH FLOW FROM FINANCING		12,00,00,000		7,57,00,551
ACTIVITIES				
(Decrease)/increase in Share Capital			27,48,75,000	
Decrease)/increase in Share Application			27,10,70,000	
money pending allotment			(224,875,000)	_
money persons uncontain	-	_	(== 1,0,0,000)	50,000,000
Net cash from/(used in) financing activities	_	_	-	50,000,000
D. Net Increase/(decrease) in cash and				, ,
cash equivalents (A+B+C)		6,18,07,185		(223,757,061)
Cash and cash equivalents as at the				
beginning of the year		2,00,000		22,39,57,061
Cash and cash equivalents as at the end of the year		6,20,07,185		2,00,000
		6,18,07,185		(223,757,061)
Note:				
Cash and cash equivalents include:				
in Current accounts(net)		6,19,42,185		2,00,000
in Imprest Accounts		65,000		
Cash and Cash equivalents		6,20,07,185		2,00,000

As per Our report of even date FOR SARIA GUPTA A CO.

CHARTEREDACCOUNTANTS

F.R. NO. 003168N Sd/-SUMIT GUPTA (PARTNER) M. NO. 513321 Date: 27-06-2017 Place: New Delhi For and on behalf of the Board Sd/- Sd/-Kumar Singh Bijay Kumar Tripathi

Vinay Kumar Singh (Managing Director)

(Director)

DIN:06497700

39

DIN:02943220

Sd/-Saket Kumar Singh (Company Secretary) M. NO. A21652

#### NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2017

# ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2017 AND STATEMENT OF' PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED ON THAT DATE

#### 1. General Information

National Capital Region Transportation Corporation Limited was incorporated on August 21, 2013 under the Companies Act, 2013 for designing, developing, implementing, financing, operating and maintaining Regional Rapid Transit system (RRTS) in National Capital Region (NCR) to provide comfortable and fast transit to NCR towns and meet the high growth in transport demand.

#### 2. Summary of significant accounting policies

#### 2.1 Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements of the company have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP). The company has prepared these financial statements to comply in all material respects with the accounting standards notified under section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules 2014. The financial statements have been prepared on an accrual basis and under the historical cost convention. All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current non-current classification of assets and liabilities.

#### 2.2 Use of Estimate

The preparation of Financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses for the year's presented. Actual results could differ from those estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

#### 2.3 असाधारण और विशेष मदें

आय या व्यय, जो घटनाओं या लेनदेन से उत्पन्न होते हैं जो स्पष्ट रूप से कंपनी की सामान्य गतिविधियों से अलग होते हैं उन्हें असाधारण वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय विवरणों में ऐसी घटनाओं / लेनदेन का विशिष्ट—प्रकटीकरण किया जाता है। इसी प्रकार, कंपनी के नियंत्रण से दूर किसी भी बाहरी घटना, आय या व्यय को प्रभावित करने वाली को भी असाधारण मद (आइटम) माना जाता है और इस प्रकार इसका वर्णन किया जाता है।

## 2.4 बैलेंस शीट की तारीख और पूर्व अवधि की वस्तुओं के बाद होने वाली घटनाएं

पूर्व अवधि की वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होने वाली पिछली अवधि की वस्तुओं को वर्तमान वित्तीय विवरणियों में अलग से बताया जाता है। आय / व्यय पूर्व अवधि से संबंधित प्रत्येक मामले में 50,000 / — रूपए तक चालू वर्ष के आय / व्यय के रूप में माना जाता है।

## 2.5 अचल सम्पत्तियां और मूल्यहास

## ए) मूर्त अचल संपत्ति

मूर्त परिसंपत्तियों को लागत, मॉडल के आधार पर मापा जाता है (अर्थात् किसी भी संचित अवमूल्यन और किसी भी संचित हानि के घाटे की लागत कम) मूर्त अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण लागत पर, आंतरिक भाड़ा, शुल्क, करों और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक खर्च के साथ—साथ कहा जाता है। अचल परिसंपत्ति की किसी मद से संबंधित अगले व्यय अपने बुक वैल्यू में जोड़ दिए जाते हैं, यदि वे मौजूदा परिसंपत्ति से भविष्य के लाभों को अपने प्रदर्शन के पूर्व मूल्यांकन मानक से अधिक बढ़ाते हैं।

अचल संपत्तियों की मदें जिन्हें सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त किया गया है और निपटान के लिए पड़ी हैं उनके नेट बुक वैल्यू या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य के निचले भाग पर तथा वित्तीय विवरणियों में अलग से दिखाए गए हैं। लाभ और हानि की विवरणी में कोई भी अपेक्षित हानि तुरंत पहचानी जाती है। सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली हानि, और अचल संपत्तियों के निपटान से होने वाले लाभ या हानि जो कि लागत में लाए जाते हैं, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

## बी) मूल्यहास

रुपये 5000 / — या इससे कम खरीदारी की व्यक्तिगत संपत्ति पर मूल्यह्रास के लिए वर्ष में 100 प्रतिशत मूल्यह्रास हो गया है, जिसमें व्यावसायिक जीवन को ध्यान में रखा गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित जीवन के अनुसार परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन में 3 वर्षों की अविध में धिसने वाले मोबाइल फोन उपकरण को छोड़कर सीधे—रेखा के आधार पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। पट्टे के सुधार में उस माह से पट्टे की अविध में परिशोधन किया जाता है जिसमें इस तरह के सुधार को पंजीकृत किया जाता है।

#### 2.3 Extraordinary and Exceptional Items

Income or Expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the company are classified as extraordinary items. Specific-disclosure of such events/transactions is made in the financial statements. Similarly, any external event beyond the control of the company, significantly impacting income or expense, is also treated as extraordinary item and disclosed as such.

#### 2.4 Events occurring after the balance sheet date and prior period items

Prior period items which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of prior periods financial statements are separately disclosed in the current financial statements. Income/expenses related to prior period/ Prepaid expenses upto Rs. 50,000/- in each case are treated as Income/expenses of current year.

#### 2.5 Fixed Assets & Depreciation

#### A) Tangible Fixed assets

Tangible Assets are measured on the basis of Cost, Model (i.e. cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses) Tangible Fixed Assets are stated at acquisition cost, inclusive of inward freight, duties, taxes and incidental expenses related to acquisition. Subsequent expenditures related to an item of fixed asset are added to its book value only if they increase the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance.

Items of fixed assets that have been retired from active use and are held for disposal are stated at the lower of their net book value or net realizable value and are shown separately in the financial statements. Any expected loss is recognized immediately in the Statement of Profit and Loss. Losses arising from the retirement of, and gains or losses arising from disposal of fixed assets which are carried at cost are recognized in the Statement of Profit and. Loss.

#### B) Depreciation

Depreciation on individual assets acquired for Rs. 5,000/- or less is depreciated 100% in the year of purchase taking into consideration the commercial life in Depreciation is provided on pro-rata basis on straight-line method over the estimated useful lives of the asset in accordance with life prescribed under schedule II of companies Act 2013 except Mobile phone instrument which is depreciated over a period of 3 Years. Leasehold improvements are amortized over the period of lease from the month in which such improvements are capitalized,

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन कार्पोरेशन लिमिटेड 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट्स के अनुबंधित हिस्से के अनुबंध और उस तिथि पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण।

## 1. सामान्य सूचना

नेशनल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 21 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, संचालन और रखरखाव के लिए पंजीकृत किया गया। ताकि वह तेजी से वृद्धि कर रहे एनसीआर शहरों में आरामदायक पारगमन और परिवहन मांग को पूरा सके।

## 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

#### 2.1 वित्तीय विवरणों की तैयारी के आधार

कंपनी का वित्तीय विवरण भारत में मान्यता प्राप्त (भारतीय जी एए पी ) सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133, (कंपनी अकाउंट नियम 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ पढ़िए) के तहत अनुसूचित लेखा मानदण्डों के साथ यह वित्तीय विवरण तैयार किया है। वित्तीय विवरण संग्रहण और ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किये गए हैं। कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र के हिसाब से सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर मौजूदा रूप से वर्गीकृत किया गया है तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में अन्य मानदण्डों को रखा गया है। उत्पादन की प्रति के आधार पर और प्रसंस्करण के लिए परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा उनकी नकद तथा नकद समकक्ष प्राप्ति के बीच के समय को कंपनी ने वर्तमान और गैर मौजूदा परिसम्पत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 महीने का परिचालन चक्र निर्धारित किया है।

## 2.2 अनुमान का उपयोग

आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान और अनुमान बनाने की जरूरत होती है जो रिपोर्ट की गई मात्रा में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करती है और वित्तीय विवरणों की तिथि और आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय की रिपोर्ट साल के प्रस्तुत के लिए वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में कोई संशोधन वर्तमान और भविष्य की अविध में संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है।

## सी) अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

प्रो-राटा आधार पर तीन साल की अविध में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को परिशोधित किया जाता है।

## डी) प्रगति में पूंजीगत परियोजना कार्य

व्यय, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रोजेक्ट किए गए और अप्रत्यक्ष पूर्व ऑपरेटिव व्यय से आकस्मिक और कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण / निर्माण से जुड़ा हो सकता है, को 'प्रगति में पूंजीगत परियोजना कार्य' को डेबिट किया जाता है। कर्मचारी लाभ और अन्य स्थापना व्यय की प्रकृति पर परियोजना से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय परियोजना को प्रभारित किया गया है। पूंजीगत परियोजना कार्य प्रगति में से निम्न रकम कम हो जाती है:

- ए) परियोजना निष्पादन के संबंध में दी गयी मोबिलिटी अग्रिमों पर अर्जित ब्याज।
- बी) निविदा की बिक्री पर प्राप्त राशि।

#### 2.6 क्षति

एकाउंटिंग स्टैंडर्ड —28 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षित (एएस —28), कंपनी की परिसंपत्तियों की बची हुई मात्रा की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में की जाती है तािक यह तय हो सके कि क्या हािन के कोई संकेत हैं या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में कीमत के रूप में अनुमान लगाया गया है। खराब हािन तब भी पहचािनी जाती है जब किसी परिसंपत्ति या उसकी नकदी पैदा करने वाली इकाई की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है— समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन की यह राय है कि कंपनी के तय किए गए अचल परिसम्पतियों के आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षा से भी बदतर नहीं हैं और इसलिए शेष राशि बैलेंस शीट की तिथि के रूप में किसी भी परिसंपत्ति की कोई हािन नहीं है।

#### 2.7 राजस्व मान्यता

राजस्व को गतिविधि की प्रति के आधार पर मान्यता दी जाती है, जब विचार उचित रूप से मापा जा सकता है और इसकी वसूली की उचित निश्चितता मौजूद है।

- (ए) बैंक के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज का श्रेय प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।
- (बी) आय की अन्य मदों को लेखे में लिया जाता है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

#### 2.8 चालू और डैफर्ड कर

आय पर टैक्स को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर और टैक्स क्रेडिट पर की गई गणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्थिगत कर के सम्बन्ध में विवेक के विचार के अधीन को छोड़कर सभी समय के अन्तर के लिए मान्यता प्राप्त है। स्थिगत कर संपत्ति मान्यता प्राप्त है और इस हद तक केवल आगे बढ़ा दिया जाता है कि उचित भविष्य निर्धारित कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी स्थिगत कर संपत्ति का एहसास हो सकता है। बकाया कर परिसंपत्तियां और देनदारियों की कर की दरें और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि बैलेंस शीट की तिथि से हटा दिया गया है या मूल रूप से लागू किया गया है। प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में, समूह अपरिवर्तित स्थिगत कर संपत्ति का फिर से मूल्यांकन करता है, यदि कोई हो।

Deferred tax assets in respect of unabsorbed depreciation/brought forward losses are recognized to the extent there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off assets against liabilities representing current tax and where the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to taxes on income levied by the same governing taxation laws.

#### 2.9 Earning Per Share

Basic earning per share is computed by dividing the profit/loss after tax by the number of weighted average shares outstanding during the year. Diluted earning per share is calculated by dividing the net profit for the year attributable to equity shareholder by the weighted average number of equity shares outstanding during the year adjusted for all potential equity shares

#### 2.10 Material Events

Material events occurring after the Balance Sheet date are taken into cognizance.

#### 2.11 Lease Accounting

Finance leases, which effectively transfer to the company substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased asset, are capitalized at the lower of the fair value and present value of the minimum lease payments at the inception of the lease term and disclosed as leased assets. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability based on the implicit rate of return. Finance charges are recognized as borrowing costs in the statement of profit and loss.

Leases where the lesser effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of Leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the statement of profit and loss. on a straight-line basis over the lease term unless there is a more systematic basis which is more representative of the time pattern of the lease expenses.

#### C) Intangible Assets and Amortization

Computer software is amortized over a period of three years on pro-rata basis.

#### D) Capital Project Work in Progress

Expenditure which can be directly identified with the Project undertaken and indirect preoperative expenditure incidental and related to acquisition/construction of assets by the company is debited to "Capital Project Work in Progress". Indirect expenditure in the nature of employee benefits and other establishment expenditure has been charged to project to the extent related to project. The following amounts are reduced from the Capital Work in Progress:

- a) Interest earned on the Mobilization Advances given in respect of the project execution.
- b) Amount received on sale of tender."

#### 2.6 Impairment

In accordance with Accounting Standard-28 impairment of Assets (AS-28), the carrying amounts of Company's assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset's recoverable amount is estimated as the higher of the net selling price and the value in use. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. On the basis of review, the management is of the opinion that the economic performance of Fixed Assets of the Company is not worse than expected and therefore there is no impairment of any assets as on the Balance Sheet date.

#### 2.7 Revenue Recognition

Revenue is recognized based on the nature of activity when consideration can be reasonably measured and there exists reasonable certainty of its recovery.

- (a) Interest on Fixed deposits with Bank is accounted for on accrual Basis.
- (b) Other items of Income are accounted for as and when right to receive is established.

#### 2.8 Current and Deferred tax

Tax on Income is determined on the basis of taxable Income and tax credits computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961. Deferred tax is recognized for all the timing differences, subject to the consideration of prudence in respect of deferred tax assets. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been eracted or substantively enacted by the Balance Sheet date. At each Balance Sheet date, the group re- assesses unrecognized deferred tax assets, if any.

#### 2.12 Cash Flow Statement

The cash flow statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard 3 on "cash flow statement" and presents the cash flows by operating, Investing and financing activities of the company. Cash and bank Balance that have insignificant risk of change in value, which have duration upto 3 months are included in the company's cash and cash equivalents in cash flow statement.

#### 2.13 Treatment of Preliminary Expenses

All preliminary and pre-incorporation expenses being intangible is being written off completely during the year in which it is expended as required by AS-26 for intangible assets issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

#### 2.14 Treatment of Contingent Liabilities

All known liabilities are provided for in the accounts except liabilities that are of a contingent nature, in respect of which suitable disclosures are made in the accounts.

**2.15** The Accounting policies that are currently not relevant to the company have not been disclosed. When such accounting policies become relevant, the same shall be disclosed.

#### 2.12 नकदी प्रवाह विवरणी

नकदी प्रवाह का विवरण 'नकदी प्रवाह वक्तव्य' पर लेखा मानक 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है और कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा नकदी प्रवाह प्रस्तुत करता है। नकद और बैंक बैलेंस जो कि मूल्य में परिवर्तन का अभाव है, जिसमें 3 महीने तक की अविध होती है, कंपनी के नकद और नकद समतुल्य नकद प्रवाह वक्तव्य में शामिल हैं।

#### 2.13 प्रारंभिक व्यय का वर्णन

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए अमूर्त संपत्तियों के लिए एएस —26 द्वारा आवश्यक रूप से खर्च किए जाने वाले सभी प्रारंभिक और पूर्व निगमन व्यय जो अमूर्त है, को वर्ष के दौरान पूरी तरह से बट्टे खाते में डाला जा रहा है।

### 2.14 आकस्मिक देनदारियों का वर्णन

आक्समिक प्रकृति की देयताओं को छोड़कर सभी ज्ञात देयताओं को लेखों के लिए प्रदान किया जाता है। जिसके संबंध में खातों में उपयुक्त खुलासा किया जाता है।

2.15 लेखा नीतियां, जो वर्तमान में कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, का खुलासा नहीं किया गया है। जब ऐसी लेखा नीति प्रासंगिक हो जाए, तो इसका खुलासा किया जाएगा।

अप्रभावी मूल्यहास के संबंध में स्थिगित कर संपत्ति / आगे लाया गया क्षिति सीमा तक मान्यता प्राप्त है, इस बात की आभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भिवष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी स्थिगित कर संपत्ति का अनुमान हो सकता है।

वर्तमान कर संपत्ति और वर्तमान कर देनदारियों को ऑफसेट ( उलट) किया जाता है, जब मान्यता प्राप्त राशि को बंद करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और संपत्ति का निपटान करने और निवल आधार पर देयता का इरादा है। स्थिगत कर परिसंपत्तियां और स्थिगत कर देनदारियां ऑफसेट ( उलट) हैं जब वर्तमान कर का प्रतिनिधित्व करने वाली देनदारियों के विरुद्ध संपत्ति को सेट करने का कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होता है और जहां स्थिगत कर संपत्तियां और सरकारी कराधान कानूनों के अनुसार आस्थिगत कर देनदारियां उसी पर लगाए गए आय पर करों से संबंधित होती हैं।

#### 2.9 शेयर आय

वर्ष के दौरान बकाया भारित औसत शेयरों की संख्या से कर के बाद लाभ / हानि को विभाजित करके प्रति शेयर मूल कमाई की गणना की जाती है। प्रति शेयर कमाने वाली आय की गणना इक्विटी शेयरधारक के लिए वर्ष के दौरान सभी संभावित इक्विटी शेयरों के लिए समायोजित वर्ष के दौरान शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

## 2.10 वस्तुगत घटनाएं

बैलेंस शीट की तारीख के बाद होने वाली वस्तुगत घटनाओं को संज्ञान में लिया जाता है।

#### 2.11 लीज अकाउंटिंग

वित्त पट्टों, जो प्रभावी रूप से कंपनी को हस्तांतिरत करती है, काफी हद तक सभी जोखिमों और पट्टे वाली पिरसंपित्तयों के स्वामित्व के लिए फायदेमंद हैं, को पट्टा अविध की स्थापना के समय उचित मूल्य के निचले भाग में न्यूनतम पूंजीकरण और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में व्यक्त किया जाता है पट्टेदार संपत्ति पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों के बीच विभाजित किया जाता है और पट्टे के दायित्व में कमी के बदले रिटर्न के अप्रत्यक्ष दर पर आधारित होता है। वित्त प्रभार लाभ और हानि के बयान में उधार लेने की लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पट्टे, जहां कम प्रभावी रूप से लीज टर्म के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखा जाता है, उन्हें ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गित किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज भुगतान को लाभ और हानि की विवरणी में एक खर्चे के रूप में पहचाना जाता है। लीज टर्म पर एक सीधी—रेखा के आधार पर जब तक कि अधिक व्यवस्थित आधार नहीं है जो लीज व्यय के समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि होता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों पर नोट्स

	(राशि रुपये में)	(राशि रुपये में)
13 राजस्व	31.03.2017	31.03.2016
अन्य आय		
फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज	7,92,15,788	7,37,80,351
	7,92,15,788	7,37,80,351
14 कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन और मजदूरी	55,10,872	
स्टाफ कल्याण व्यय	8,450	
	55,19,322	-
15 अन्य व्यय	1,04,389	
बिजली और ईंधन	50,80,635	
किराया	84,851	
मरम्मत और रख रखाव	28,224	41,100
आय पर करों को छोड़कर दरें और कर	4,92,120	58,475
व्यवसाय संवर्धन व्यय	34,500	28,625
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क		28,023
टेलीफोन और संचार व्यय	2,16,356	
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	4,93,692	62,264
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	18,18,117	4,93,415
– स्टाम्प शुल्क		10,11,020
हाउसकीपिंग व्यय	13,61,170	
बैठक और सम्मेलन व्यय	5,84,501	
पूर्व अवधि व्यय		1,50,000
पुस्तकें और सामयिक	9,539	
यात्रा और परिवहन व्यय	21,70,190	
विविध व्यय		2 962
	1,51,629	3,863
	1,26,29,913	18,48,762

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

4. रिजर्व और अधिशोष		(राशि रुपये में )	(राशि रुपये में)
		31.03.2017	31.03.2016
* 0 0 0 0 1 0 1			
लाभ और हानि की विवरणी में अधिशेष पिछले वित्तीय विवरणियों के अनुसार शेष		7,96,68,503	3,38,44,305
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ		3,99,48,701	4,58,24,198
लाभ और हानि की विवरणी में शुद्ध अधिशेष		11,96,17,204	7,96,68,503
कुल रिजर्व और अधिशेष		11,96,17,204	7,96,68,503
5. लघु अवधि के प्रावधान	0.0		
आयकर के लिए प्रावधान (शुद्ध एडवांस टैक्स और	टीडीएस का शुद्ध)	30,78,026	5,05,986
		30,78,026	5,05,986
<ol><li>अन्य चालू देयताएं</li></ol>			
अन्य देय		81,05,502	2,03,453
अग्रिम धन और सुरक्षा जमा		5,25,000	
कर एवं शुल्क		36,82,170	12,500
		1,23,12,672	2,15,953
7. बैलेंस शीट के अंतिम पृष्ठ में रखा गया			
<ol> <li>दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम</li> </ol>			
सिक्योरिटी डिपॉजिट लीज रेंट		19,08,270	
		19,08,270	
9. स्थगित कर परिसंपत्ति			
प्रारंभिक शेष		8,64,980	12,46,520
वर्ष के दौरान जोड़/(उलट)		(582,453)	(381,540)
9.1 स्थगित कर गणना		2,82,527	8,64, 980
क) मूल्यह्रास पर देयता			
आयकर अधिनियम के अनुसार			
	7,98,640		
कम्पनी अधिनियम के अनुसार			
10,000 10,	02,88,817	4 22 44-	
अस्थायी अन्तर	46	4,90,117	
	16		

ख) प्रारंभिक व्यय पर संपत्ति		
भविष्य में कटौती योग्य प्रारंभिक खर्च स्वीकार्य है	13,44,688	26,89,376
अस्थायी अंतर	13,44,688	26,89,376
अस्थायी अंतर की शुद्ध राशि	8,54,511	26,89,376
कर दर	33.06	32. 163
स्थागित कर संपत्ति / (देयता) (शुद्ध )	2,82,527	8,64,980
10. नकद और बैंक बैलेंस	_,=,=,=:	
ए—कैश और कैश समकक्ष		
(i) बैंकों में शेष		
– चालू खाते में (फेलक्सी जमा सहित)	6,19,42,185	2,00,000
<ul> <li>फिक्स्ड डिपॉजिट्स (कम से कम तीन महीने की ऑरिजनल परिपक्व</li> </ul>	ता के साथ)	
(ii) पेशगी लेखा	65,000	
बी— अन्य बैंक बैलेंस		
फिक्स्ड डिपॉजिट (तीन महीने से अधिक की ऑरिजनल		
परिपक्वता के साथ लेकिन 12 महीने से कम)	95,23,42,364	104,87,11,118
	101,43,49,549	104,89,11,118
11. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		
असुरक्षित		
रिफंड / आय कर भुगतान (ए.वाय. 2014—15)	4,308	4,308
धनवापस/आयकर भुगतान (ए.वाय. 2015–16)	30,533	30,533
स्टाफ को अग्रिम भुगतान किया	36,630	
	71, 471	34,841
12. अन्य वर्तमान सम्पत्तियाँ		
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	2,46,04,223	3,05,79,503
शहरी विकास मंत्रालय से वसूली करने योग्य	4,01,59,726	
अन्य वसूली	1,29,862	
	6,48,93,811	3,05,79,503

b) Asset on Account of Preliminary Expenses		
Preliminary Expenses allowable as deductable		
in future	13,44,688	26,89,376
Temporary differences	13,44,688	26,89,376
Net Amount of temoprary differences	8,54,511	26,89,376
Tax Rate	33.06	32. 163
Deffered Tax Asset / (Liablity) (Net)	2,82,527	8,64,980
10. Cash and bank balances		
A- Cash and cash equivalents		
(i) Balances with banks		
- in Current Accounts (Inculiding Felxi Deposit)	6,19,42,185	2,00,000
- Fixed Deposits (With Orignal Maturity of less than th	ree months)	
(ii) Imprest Account	65,000	
B- Other Bank Balances		
Fixed Deposits (With Orignal Maturity of more than th	ree	
months but less than 12 months)	95,23,42,364	104,87,11,118
	101,43,49,549	104,89,11,118
11. Short Term Loans and Advances		
Unsecured		
Refund/Income tax paid (A.Y. 2014-15)	4,308	4,308
Refund/Income tax paid (A.Y. 2015-16)	30,533	30,533
Advance Paid to Staff	36,630	
	71,471	34,841
12. Other Current Assets		
Interest Accrued but Not Due	2,46,04,223	3,05,79,503
Recoverable From Ministry of Urban Development	4,01,59,726	
Others Recoverable	1,29,862	
•	6,48,93,811	3,05,79,503

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट राशि रूपए में स्वीस रूपए में

	साध रूपए म	साध रूपए म
	31.03.2017	31.03.2016
शेयर पूंजी		
(ए) अधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक 100  रुपये के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर		
		O Majornas Section Network with 2000
(पिछला वर्ष 1,00,00,000 शेयर)	100,00,00,000	100,00,00,000
	100,00,00,000	100,00,00,000
(बी) जारी हुए , सदस्यता ली और आंशिक भुगतान किया	100,00,00,000	100,00,00,000
प्रत्येक 100 रुपये के 1,00,00,000 इक्विटी शैयर	, , ,	, , ,
(पिछला वर्ष 1,00,00,000 शेयर)		
कुल जारी हुए सदस्यता ली और पूरी तरह से भूगतान किया	100,00 00,000	100,00,00,000
शेयर पूंजी		
शेयरों से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंधः	100,00 00,000	100,00,00,000
इक्विटी शेयर: कंपनी का एक वर्ग का इक्विटी शेर	पर है. जो 100 रुपये प्रति इ	शेयर के सममल्य के बराबर है। प्रत्येक शेयरधारक.
एक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है। परिसमाप	ान की रिथति में, इक्विटी शे	यिरधारक, सभी अधिमान्य मात्रा के वितरण के बाद
उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में कंपनी की शेष र	ांपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं	1
उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में कंपनी की शेष र (सी) रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारम्भ और अंत में बव	<b>गया शेयरों के साथ मिल</b>	गान

		31.03.2017		31.03.2016
	संख्या	(राशि रूपए	में ) संख्या	(राशि रूपए में )
वर्ष के प्रारम्भ में	1,00,00,000	100,00,00,000	72,51,250	72,51,25,000
वर्ष के दौरान जारी हुए			27,48,750	27,48,75,000
वर्ष के अंत में शेष	1,00,00,000	100,00,00,000	1,00,00,000	100,00,00,000
बी. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक	के शेयर	ein de la	10 di 0	
शेयरधारक का नाम		31.03.2017		31.03.2016
	संख्या	(राशि रूपए	में ) संख्या	(राशि रूपए में )
शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से				
श्री सुधीर कृष्णा	1,250	1,25,000	1,250	1,25,000
श्री संजीव कुमार लोहिया	250	25,000	250	25,000
भारत के राष्ट्रपति	22,48,500	22,48,50,000	22,48,500	22,48,50,000
रेल मंत्रालय के माध्यम से				
भारत के राष्ट्रपति	22,48,750	22,48,75,000	22,48,750	22,48,75,000
श्री अरुणेंद्र कुमार	1,250	1,25,000	1,250	1,25,000
राष्ट्रीय कैप्टिल क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से				
सुश्री नैनी जयसिलम	250	25,000	250	25,000
सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी	4,99,750	4,99,75,000	4,99,750	4,99,75,000
राज्य सरकार				
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से				
श्री दीपक मोहन सपोलिया राष्ट्रीय राजधानी	625	62,500	625	62,500
क्षेत्र दिल्ली के लेफिटनेंट गवर्नर	12,49,375	12,49,37,500	12,49,375	12,49,37,500
हरियाणा सरकार के माध्यम से				
श्री प्रदीप कुमार चौधरी	625	62,500	625	62,500
हरियाणा के राज्यपाल	12,49,375	12,49,37,500	12,49,375	12,49,37,500
राजस्थान सरकार के माध्यम से				
श्री सीके मैथ्यू	625	62,500	625	62,500
राजस्थान के राज्यपाल	12,49,375	12,49,37,500	12,49,375	12,49,37,500
यूपी सरकार के माध्यम से				
श्री सदा कांत	625	62,500	625	62,500
यूपी के राज्यपाल	12,49,375	12,49,37,500	12,49,375	12,49,37,500
कुल		1,00,00,00,000		0 1,00,00,00,000

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

## 16 नोट्स और अन्य प्रकटीकरणः

16.1 आकस्मिक देयताएं

वित्त वर्ष 2014—15 के दौरान आम बैंक खाते में प्राप्त शेयर आवेदन धन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के मामले में दंड के मामले में और शेयर आवेदन पैसे का उपयोग और फॉर्म पीएएस —3 की गैर—फाइलिंग शेयरों के आवंटन के मामले में आकस्मिक दायित्व मौजूद है।

#### 16.2 आय प्रति शेयर (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लाम (हानि) शेयरधारकों के लिए	3,99,48,701	4,58,24,198
इक्विटी शेयरों की बकाया औसत संख्या वर्ष के दौरान	1,00,00,000	97,29,476
शेयरों का नाममात्र मूल्य (रु)	100	100
प्रति शेयर मूल कमाई (रुपए)	3.99	4.71

16.3 संबंधित पार्टियों के नाम और सम्बन्ध

- i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक और निदेशक
- ए) श्री राजीव गाबा, निर्देशक
- बी) श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, निदेशक (एमडी) के रूप में 04.08.016 तक नामित)
- सी) श्री बिजय कुमार त्रिपाठी, निर्देशक
- डी) श्री दीपेंदर सिंह धेसी, निर्देशक
- ई) श्री चंद्र शेखर राजन, निर्देशक (04 08, 2016 तक)
- एफ) श्री उमेश कुमार, निदेशक (04.08.2016 से)
- जी) श्री केवल कुमार शर्मा, निदेशक (16.01.2017 तक)
- एच) श्री एम एम कुट्टी, निदेशक (16.01.2017 से)
- आई) श्री विनय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक (04.08.2016 से)
- जे) श्री कैलाश कुमार अग्रवाल, निदेशक
- के) श्री के. रविंदर नायक, निर्देशक

## NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED Notes to the Financial statements for the year ended 31st March 2017

	Amount in Rs	Amount in Rs	
	31.03.2017	31.03.2016	_
,	Amount in Rs	Amount in Rs	
Share Capital			
(A) Authorised share capital			
1,00,00,000 Equity shares of Rs. 100	each		
(Previous Year 1,00,00,000 Shares)			
	100,00,00,000	100,00,00,000	
	100,00,00,000	100,00,00,000	
(B) Issued, subscribed and Partial paid	d up		
1,00,00,000 Equity shares of Rs. 100	each		
(Previous Year 1,00,00,000 Shares)	100,00 00,000	100,00,00,000	
Total Issued subscribed and fully paid	up		
share capital	100,00 00,000	100,00,00,000	
D' 14 D C 1D 4 ' 4'	44 1 1 4 61		

#### Rights, Preference and Restrictions attached to Shares:

Equity Shares: The Company has one class of Equity Shares having par value of Rs 100 per Share. Each share holder is eligible for one vote per share held. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Compant after distribution of all preferential amounts, in proportion to their share folding.

(C) Reconciliation of the shares of	(C) Reconciliation of the shares outstanding at the begining and at end of the reporting Year					
		27	31.03.2017		31.03.2016	
		Number	(Amount in Rs)	Number	(Amount in Rs)	
At the beginning of the Year		1,00,00,000	100,00,00,000	72,51,250	72,51,25,000	
Issued during the Year			72	27,48,750	27,48,75,000	
Outstanding at the end of the Year		1,00,00,000	100,00,00,000	1,00,00,000	100,00,00,000	
b. Shares held by each shareholde	er hold	ing more thai	n 5% shares			
Name of shareholder		31.03.2017		31.03.2016		
		Number	Amount in Rs	Number(	Amount In Rs.)	
Ministry of Urban Development t	hroug	n				
Sh Sudhir Krishna		1,250	1,25,000	1,250	1,25,000	
Sh Sanjeev Kumar Lohia		250	25,000	250	25,000	
President of India		22,48,500	22,48,50,000	22,48,500	22,48,50,000	
Ministry of Railways through						
President of India		22,48,750	22,48,75,000	22,48,750	22,48,75,000	
Sh Arunendra Kumar		1,250	1,25,000	1,250	1,25,000	
<b>National Capitil Region Planning</b>	Board	through				
Ms. Naini Jayaseelan		250	25,000	250	25,000	
Member Secretary, NCRPB		4,99,750	4,99,75,000	4,99,750	4,99,75,000	
State Govt						
Govt. of NCT of Delhi through						
Sh Deepak Mohan Spolia		625	62,500	625	62,500	
Lt. Governor of NCT Delhi		12,49,375	12,49,37,500	12,49,375	12,49,37,500	
Govt of Haryana through						
Sh Pardeep Kumar Chaudhary		625	62,500	625	62,500	
Governor of Haryana		12,49,375	12,49,37,500	12,49,375	12,49,37,500	
Govt. of Rajasthan through						
Sh. CK Mathew		625	62,500	625	62,500	
Governor of Rajasthan		12,49,375	12,49,37,500	12,49,375	12,49,37,500	
Govt of U.P through						
Sh. Sada Kant		625	62,500	625	62,500	
Governor of U.P		12,49,375	12,49,37,500	12,49,375	12,49,37,500	
	Total	1,00,00,000	1,00,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,00,000	

## NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2017

	(Amount in Rs)	(Amount in Rs)
4. Reserves and surplus		
	31.03.2017	31.03.2016
Surplus in the statement of profit and loss	,	
Balance as per last financial statements	7,96,68,503	3,38,44,305
Add: Profit for the year	3,99,48,701	4,58,24,198
Net Surplus in the statement of profit and loss	11,96,17,204	7,96,68,503
Total Reserves and surplus	11,96,17,204	7,96,68,503
5. Short Term Provisions		
Provision for Income Tax (Net of Advance Tax & TDS)	30,78,026	5,05,986
	30,78,026	5,05,986
6. Other Current Liabilities		
Other's Payable	81,05,502	2,03,453
Earnest Money & Security Deposit	5,25,000	
Duties & Taxes	36,82,170	12,500
	1,23,12,672	2,15,953
7. Placed in last page of Balance sheet.		
8. Long Term Loans & Advances		
Security Deposit Lease Rent	19,08,270	
	19,08,270	
9. Deferred Tax Assets		
Opening Balance	8,64,980	12,46,520
Addition/(Reversed) during the Year	(582,453)	(381,540)
	2,82,527	8,64, 980
9.1 Deferred Tax Calculation		
a) Liablity on Account of depreciation		
WDV of Fixed Assets as per IT Act 97,98,640		
WDV of Fixed Assets as per		
Companies Act 1,02,88,817	ng gang patowal in	
Temporary differences	4,90,177	

## NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

## Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2017

	(Amount in Rs)	(Amount in Rs)
13 Revenue	31.03.2017	31.03.2016
Other Income		
Interest on Fixed Deposit	7,92,15,788	7,37,80,351
	7,92,15,788	7,37,80,351
14 Employee Benefit Expenses		
Salaries and Wages	55,10,872	
Staff Welfare Expenses	8,450	
	55,19,322	
15 Other Expenses		
Power and Fuel	1,04,389	
Rent	50,80,635	
Repairs & Maintenance	84,851	
Rates & Taxes excluding taxes on income	28,224	41,100
<b>Business Promotion Expenses</b>	4,92,120	58,475
Statutory Audit Fees	34,500	28,625
Telephone and Communication Expenses	2,16,356	
Printing and Stationery	4,93,692	62,264
Legal and Professional Expenses	18,18,117	4,93,415
- Stamp Duty		10,11,020
Housekeeping Expenses	13,61,170	
Meeting and Conference Expenses	5,84,501	
Prior Period Expenses		1,50,000
Books and Periodicals	9,539	
Travelling and Conveyance Expenses	21,70,190	
Miscellaneous Expenses	1,51,629	3,863
	1,26,29,913	18,48,762



#### संख्या PDCA-I/ND/CHQ/35-1/2017-18/463

## भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1

दिनांक / 16-08-2017

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड 7/6, एएमडीए बिल्डिंग, सीरी फोर्ट इस्टीटयूयश्नल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली – 110049

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (इ) के अधीन 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कार्पोशन लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ नेशनल कैपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (इ) के अन्तर्गत समीक्षा नहीं किये जाने का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाता है।

कृपया इस पत्र की पावती भेंजें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्त

ਵ0

(नीलेश कुमार शाह) प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

ए प्रमुख प्रबंधन के लेनदेन के बारे में विवरण:

नाम	सम्बन्ध	भुगतान का स्वरूप	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		शून्य		

#### 16.4 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष
वेतन और भत्ते	20,37,154	

17 कंपनी न तो कोई नकदी रखती है क्योंकि कंपनी अपने बैंक खाते के माध्यम से व्यय को पूरा करती है या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों के साथ रखे गए आहरण अधिशेष से करती है। 8–11–2017 को आहरण खाते में शेष राशि रु 65,000/–उपलब्ध है।

18 अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत अपेक्षित रूप में 8,14,072 / —रूपए सीएसआर के लिए खर्च की जाने वाली राशि अगले वित्त वर्ष में आगे खर्च की जाएगी क्योंकि यह बहुत कम व्यय है।

19. पिछले वर्ष के आंकड़े वर्तमान अविध वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जरूरी माने जाते हैं, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ दोहराए गए/पुनर्गठन/पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

20 क्रमशः कार्यालय / प्रशासन कर्मचारी के खर्चों और परियोजना कर्मचारियों के वेतन के आधार पर व्यय को राजस्व व्यय (1,95,70,920 / -रू.) और पूंजीगत व्यय (1,03,80,895 रू.) के बीच विभाजित किया गया है।

21 वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई निर्दिष्ट बैंक नोट्स या अन्य मूल्य वर्ग के नोटिस नहीं थे , जैसा कि 31 मार्च 2017 को एमसीए अधिसूचना जीएसआर 308 (ई) में निर्दिष्ट बैंक नोट्स को परिभाषित किया गया था और न ही ऐसे नोट्स या मूल्य वर्ग वाले नोट से कोई लेनदेन 8 नवंबर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक किया गया था। अधिसूचना के अनुसार निर्दिष्ट बैंक नोट्स और अन्य नोट नीचे दिए गए हैं:

रुपये में

विवरण

निर्दिष्ट बैंक नोट्स\*

अन्य मूल्य वर्ग

-NIL-

कुल

8 नवंबर 2016 को हाथ में समापन नकदी

- (+) अनुमति प्राप्त रसीदें
- (-) भुगतान की अनुमति है

बैंकों में जमा राशि (-)

30 दिसंबर, 2016 को हाथ में समापन नकदी

\* इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'निर्दिष्ट बैंक नोट्स' शब्द का अर्थ वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, एसओ, 3407ई, दिनांक 8 नवंबर, 2016 को भारत सरकार की अधिसूचना में दिया गया है।

50

#### NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

#### 16 NOTES AND OTHER DISCLOSURES:

#### 16.1 Contingent Liabilities

There exist a contingent liability in case penalty for non compliance of provisions of Companies Act, 2013 with respect to Share Application Money received in Common Bank Account during the F. Y 2014-15, utilisation of share application money and non filing of Form PAS-3 in case of allotment of shares.

## 16.2 Earnings per share (EPS)

Particulars	For the year ended March 31, 2017	For the year ended March 31, 2016
Profit (Loss) Attributable to shareholders	3,99,48,701	4,58,24,198
Weighted average number of Equity Shares		
Outstanding during the year	1,00,00,000	97,29,476
Nominal value of Equity Shares (Rs.)	100	100
Basic Earning per Share (Rs.)	3.99	4.71

## 16.3 Name of the Related parties & Relationship

- i) Key Management Personnel & Directors
- a) MR. RAJIV GAUBA, DIRECTOR
- b) MR. DURGA SHANKER MISHRA, DIRECTOR (Designated as MD up to 04.08.2016.)
- c) MR. BIJAY KUMAR TRIPATHI, DIRECTOR
- d) MR. DEPINDER SINGH DHESI, DIRECTOR
- e) MR. CHANDRA SHEKHAR RAJAN, DIRECTOR (upto 04 08 2016)
- I) MR. UMESH KUMAR, DIRECTOR (From 04.08.2016)
- g) MR. KEWAL KUMAR SHARMA, DIRECTOR(upto 16.01.2017)
- h) MR. MUNGATH MADHAVAN KUTTY, DIRECTOR (From 16.01.2017)
- i) MR. VINAY KUMAR SINGH, MANAGING DIRECTOR (From 04.08.2016)
- j) MR. KAILASH KUMAR AGGARWAL, DIRECTOR
- k) MR. RAVINDER NAIK KHATRAVATH, DIRECTOR

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

The preparation of financial statements of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India undersection 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by then vide their Audit Report dated 27 June 2017.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the finacial statements of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED for the year ended 31st March 2017 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of india

Place: New Delhi Dated: 16 August 2017

Sd/-( Neelesh Kumar Sah) Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board-I, New Delhi,

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED NOTES ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31\*\* 2017 Note 7: Fixed Assets

Z	Note 7: Fixed Assets	-		מולקעם וס			1102 1611			(Amount in Rs.)	in Rs.)
			Gross Block	ock			Accumulated Depreciation	Depreciation		Net Block	llock
	Fixed Assets	As at 1st April 2016	Additions/ (Disposals)	Transfer/ Deduction	As at 31 March 2017	As at 1st April 2016	Depreciation charged during	Adjustment during the	As at 31st Mar 2017	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
αġ	. Tangible Assets										
	Fumiture & Fixture Assets	1	25,41,045	ı	25,41,045	ı	1,53,393	1	1,53,393	23,87,652	1
	Office Equipment Assets	1	20,73,551	(10,000)	20,63,551	1	2,99,154	1	2,99,154	17,64,397	1
	EDP Assets	1	18,72,122	1	18,72,122	1	3,13,371	1	3,13,371	15,58,751	1
	Lease Hold Improvement	1	50,35,282,	1	50,35,282	1	6,07,654	1	6,07,654	44,27,628	1
	Subtotal	1	1,15,22,000	(10,000)	1,15,12,000	1	13,73,572	1	13,73,572	1,01,38,428	1
	Intangible Assets Software	1	1,98,502	1	1,98,502	1	48,113	!	48,113	1,50,389	1
	Subtotal	1	1,98,502		1,98,502	-	48,113	1	48,113	1,50,389	-
	Total	1	1,17,20,502	(10,000)	1,17,10,502	-	14,21,685	-	14,21,685	1,02,88,817	-
	Previous Year	1			-		-		-	-	-
Ď.	Capital work in Progress A. Capital WIP-Other (Non Project)	I	1	I	1	1	1	I	ı	1	ı
	Lease Hold Improvements	1	1,67,09,932		1,67,09,932	1	1	ı	ı	1,67,09,932	1
	Total A	:	1,67,09,932		1,67,09,932	:	-	:	:	1,67,09,932	I
	B. Project Expenditure Civil Work Preliminary Project Expenses		1,62,39,380		1,62,39,380	1	I	ı	ı	1,62,39,380	1
	Incidental Expenditure During Construction	1	1,03,80,895		1,03,80,895	1	1	1	ı	1,03,80,895	1
	Less : Sale of Tender	1	1,16,750		1,16,750	1	-	1	ı	1,16,750	ı
	Total (B)	1	2,65,03,525	1	2,65,03,525	1	-	1	1	2,65,03,525	ı
	Grand Total (A+B)	1	4,32,13,457	:	4,32,13,457	:	-	:		4,32,13,457	I
	Previous Year	1	ı	ı	1	1	1	ı	ı	ı	1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड मार्च 31, 2017 तक शीट का हिस्सा बनाने वाले संग्रहित नोट्स

1	नोट 7/ स्थाई संप	संपत्तियां								(राशि रुपए में)	न्पए में)
			कुल ब्ले	ब्लॉक			जमा हुआ मूल्यहास	यहास		मेट ब्ल	ब्लॉक
	स्थाई संपत्तियां	1 अप्रैल	्रोष्ट्	स्थानांतरण/	31 मार्च	1 अप्रैल	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
		2016 को	(निपटान)	कटौती	2017 को	2016 को	मूल्यहास हुआ	समायोजन हुआ	2017 को	2017 को	2016 화
Þ	ए, मूर्त संपत्तियां							,			
	फर्नीचर और फिक्सर संपत्तियां	1	25,41,045		25,41,045	ı	1,53,393	1	1,53,393	23,87,652	1
	कार्यालय उपकरण संपत्तियां	1	20,73,551	(10,000)	20,63,551	1	2,99,154	1	2,99,154	17,64,397	•
	इंडीपी संपत्ति	1	18,72,122	1	18,72,122	1	3,13,371	3	3,13,371	15,58,751	1
	लीजहोल्ड इम्प्रुवमेंट	1	50,35,282,	1	50,35,282	-	6,07,654	1	6,07,654	44,27,628	•
	सब टोटल	1	1,15,22,000	(10,000)	1,15,12,000		13,73,572	:	13,73,572	1,01,38,428	•
	अमूर्त संपत्ति										
	सॉफ्टवेयर	1	1,98,502	1	1,98,502	1	48,113	1	48,113	1,50,389	•
	सब टोटल	-	1,98,502		1,98,502		48,113	1	48,113	1,50,389	·
	कुल	1	1,17,20,502	(10,000)	1,17,10,502	1	14,21,685	1	14,21,685	1,02,88,817	'
	पिछला साल					=	:	1	-	١	1
ক্র	पूंजी कार्य में प्रगति	1	-	1	1		1	1		1	, i
	ए. कीपेटल डब्ल्युआईपी	1	1	ı	1	1	1	٠	٠	١	i
	न्छन्य (गर पारवाजना) त्रीच हो≅ह										
	इस्यवमेंट	1	1,67,09,932		1,67,09,932	1	1	1	1	1,67,09,932	1
	कुल (ए)	:	1,67,09,932		1,67,09,932		1	٠	:	1,67,09,932	•
	बी. परियोजना व्यय स्मिनित्र तर्क										7
	प्रारंभिक परियोजना व्यय निर्माण के विस्त		1,62,39,380		1,62,39,380	ı	1	ı	1	1,62,39,380	1
	ानांग ५/ पारांग आकरिमक व्यय	1	1,03,80,895		1,03,80,895	L	ı	1	١	1,03,80,895	1
	घटायें : टेंडर की बिक्री	1	1,16,750		1,16,750	ı	1	1	1	1,16,750	ī
	कुल (बी)	1	2,65,03,525	-	2,65,03,525	11	1	11	1	2,65,03,525	'
	कुल जोड़ (ए+बी)	1	4,32,13,457	1	4,32,13,457	1	ı	ı	1	4,32,13,457	i
	पिछला साल	ı	1	I	ı	ı	1	1	ı	ı	ı

A. Following Transactions of Key Management have taken place

NAME	RELATION	<b>NATURE</b>	<b>OF PAYMENT</b>	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
			NIL		

## 16.4 Managerial Remuneration

	Year Ended March 31, 2017	Year Ended March 31, 2016
Salary & Allowances	20,37,154	

- 17 The company neither does not maintain any cash as the company meets its expenditure through its Bank account or the imprest balance maintained with the employees as authorised by the Board, as on 08-11-2017 balance available in imprest account was Rs. 65,000/-.
- 18 The Board of Directors in their meeting resolved that amount to be expended towards CSR of Rs. 8,14,072/- as required under Section 135 of Companies Act 2013 shall be carried forward to the next financial year due to the same being a meagre expenditure.
- 19 Previous year figures have been restated/regrouped/ reclassified wherever considered necessary to confirm to the current period classification.
- 20 The expenses have been apportioned between revenue expenditure (Rs.1,95,70,920/-) and capital expenditure (Rs.1,03,80,895) on the basis of employee salary incurred for the office/administration staff and project staff respectively.
- During the year, the company did not have any specified bank notes or other denomination notes as defined in the MCA notification G.S.R 308(E) dated March 31, 2017 on the details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period from November 8, 2016 to December 30, 2016, the denomination wise SBNs and other notes as per the notification is given below:

in Rs.

Particulars SBNs\* Other denomination Total

Closing cash in hand as on

November 8, 2016

(+) Permitted Receipts

-NIL-

- (-) permitted payments
- (-) Amount deposited in Banks

Closing cash in hand as on December 30, 2016

\*for the purpose of this clause, the term 'Specified Bank Notes' shall have the same meaning provided in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O, 3407E, dated the 8th November, 2016